अध्याय III

खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्त मामले विभाग

3.1 "झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की अधिप्राप्ति गतिविधि" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा"

झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसीएल या कंपनी) किसानों से धान की अधिप्राप्ति, मिलिंग के लिए मिलरों को धान की ढुलाई, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की बिक्री और विभिन्न केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत भारत सरकार (जीओआई)/झारखंड सरकार (झा.स.) द्वारा जारी मासिक/वार्षिक आवंटन के विरुद्ध एफसीआई से चावल और गेहूं की अधिप्राप्ति /उठाव और उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों और अन्य एजेंसियों को डोर स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) एजेंटों के माध्यम से इन खाद्यान्न के वितरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि में "जेएसएफसीएल की अधिप्राप्ति गतिविधि" पर लेखापरीक्षा कंपनी मुख्यालय और चयनित कार्यालयों में किसानों को धान की अधिप्राप्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान समय पर किया गया था; खाद्यान्न की अधिप्राप्ति और परिवहन कुशलतापूर्वक और मितव्ययता पूर्वक किया गया था; गोदामों का प्रबंधन मानक प्रचलनों के अनुसार किया गया था; निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था और आंतरिक नियंत्रण/अनुश्रवण तंत्र मौजूद थे, के आकलन हेतु की गई।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2018-19 से 2021-22 (जनवरी 2023 तक की अवधि) के दौरान, कंपनी मिलरों द्वारा धान न उठाने और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स)/ वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (लैम्प्स) के पास उपलब्ध सीमित भंडारण क्षमता के

कारण 18.29 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 16.47 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति कर सकती है।

नमूना-जांचित जिलों में 1,59,354 किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई और एमएसपी का भुगतान दो किस्तों में किया जाना था। जांच से पता चला कि पहली किस्त का भुगतान 79 से 98 प्रतिशत किसानों को भुगतान की निर्धारित तिथि से 775 दिनों तक की विलम्ब से किया गया था। इसी प्रकार, दूसरी किस्त का भुगतान 64 से 100 प्रतिशत किसानों को 370 दिनों तक की विलम्ब से किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिप्राप्ति की तिथि से 264 से 1,517 दिनों के अंतराल के बाद भी, 1,741 किसानों को ₹ 8.64 करोड़ के एमएसपी का भुगतान (अप्रैल 2023) नहीं किया गया था।

कंपनी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 9.70 करोड़ बकाया राशि वाले 105 पैक्स/लैम्प्स और ₹ 7.51 करोड़ की बकाया राशि वाले 14 मिलरों को मिलिंग के लिए धान की अधिप्राप्ति की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, इनमें से 25 पैक्स/लैम्प्स और चार मिलरों ने केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान फिर से क्रमशः ₹11.22 करोड़ मूल्य का धान और ₹30.09 करोड़ मूल्य का सीएमआर समर्पित नहीं किया था।

केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान किसानों से पैक्स/लैम्प्स द्वारा अधिप्राप्त 10.07 लाख मीट्रिक टन धान में से 20.77 करोड़ रुपये मूल्य की 10,210 मीट्रिक टन धान समर्पित नहीं किया गया। प्राप्त धान की मिलिंग के बाद ₹ 72.81 करोड़ मूल्य के 24,215.17 एमटी सीएमआर मिलरों के द्वारा एफसीआई को समर्पित नहीं किया गया था।

एफसीआई से 692.73 करोड़ रुपये के दावा योग्य आकस्मिक शुल्क के विरुद्ध, कंपनी ने केएमएस 2011-12 से 2021-22 के दौरान केवल 93.51 करोड़ रुपये का दावा किया, जिसमें से एफसीआई ने केवल 22.88 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की थी।

एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न की अनुपलब्धता या ट्रांसपोर्टर के पास वाहनों की कम उपलब्धता के कारण, कंपनी अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के

दौरान ₹ 32.50 करोड़ मूल्य के 88,716 मीट्रिक टन चावल और 29,429 मीट्रिक टन गेहूं नहीं उठा सकी, जिसमें से ₹ 29.53 करोड़ के वापसी के दावे एफसीआई को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

गोदामों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, जलभराव, बिजली की कमी और धर्मकाँटे अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति,जैसी समस्याएँ देखी गईं।

कंपनी के खाते कंपनी के प्रारम्भ (जून 2010) से बकाया थे। कंपनी के जिला कार्यालयों द्वारा मूलभूत अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था जिसके लिए श्रमशक्ति की कमी को कारण माना गया था।.

3.1.1 परिचय

झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड[1] (कंपनी/जेएसएफसीएल) को खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग (विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत झारखंड सरकार (झा.स.) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जून 2010 में स्थापित किया गया था। कंपनी भारत सरकार /झा.स. की नीतियों के अनुसार खाद्यान्न और अन्य आवश्यक उत्पादों[2] के सार्वजनिक वितरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कंपनी का मुख्यालय रांची में है और उसके 24 जिला प्रबंधक (डीएम) कार्यालय है, प्रत्येक जिले में एक, जो धान / अन्य उत्पादों की अधिप्राप्ति और वितरण का प्रबंधन, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को वितरण के लिए डोरस्टेप डिलीवरी[3] (डीएसडी) एजेंसियों को इनकी आपूर्ति करता है ।

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी मार्च 2023 तक ₹ पांच करोड़ थी और इसका टर्नओवर 2022-23 के दौरान ₹ 1,875.24 करोड़ था।

---

[1] नवम्बर 2012 में नाम बदलकर झारखंड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्राइवेट लिमिटेड

[2] दाल और अन्य खाद्य पदार्थ अर्थात नमक, चीनी इत्यादि

[3] परिवहन और हैंडलिंग ठेकेदार

कंपनी की स्थापना (i) खाद्यान्न की क्रय, भंडारण, परिवहन और वितरण का व्यवसाय करने के लिए (ii) मिलों की स्थापना की योजना बनाने या तैयार करने या मिलों की स्थापना में सहायता करने के लिए की गई थी और (iii) खाद्यान्न और अन्य असैनिक आपूर्ति की अधिप्राप्ति और वितरण में राज्य सरकार की एक एजेंसी के रूप में कार्य करना था।

कंपनी की मुख्य गतिविधियाँ थीं:

- किसानों से धान की अधिप्राप्ति, मिलिंग के लिए मिलरों को धान का परिवहन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीएमआर की दर से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को कस्टम मिल्ड चावल[4] (सीएमआर) का विक्रय।
- विभिन्न केंद्रीय/राज्य प्रायोजित योजनाओं[5] के तहत भारत सरकार/झा.स. द्वारा जारी मासिक/वार्षिक आवंटन के विरुद्ध एफसीआई से चावल और गेहूं की अधिप्राप्ति/उठाव और डीएसडी एजेंटों के माध्यम से एफपीएस डीलरों और अन्य एजेंसियों[6] (जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत के अनुसार) को इन खाद्यान्न वितरित करने के लिए, और
- चना, दाल, चीनी आदि के परिवहन और भंडारण के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना।

कंपनी का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/नामित प्रबंध निदेशक (एमडी) सहित सात निदेशकों वाले निदेशक मंडल (बीओडी) में निहित है। एमडी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है और इसकी सहायता मुख्यालय स्तर पर तीन महाप्रबंधक (जीएमएस), एक कंपनी सचिव और एक लेखा अधिकारी द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर,

[4] किसानो से ख़रीदे गए धान से मिलिंग द्वारा प्रसंस्कृत चावल

[5] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (रा.खा.सु.अ), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (प्र.ग.क.अ.यो), ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओ.ऍम.एस.एस)

[6] आंगनवाड़ी और मध्याहनं भोजन योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल

सहायक गोदाम प्रबंधकों (एजीएम) द्वारा सहायता प्राप्त 24 जिला प्रबंधक (डीएम) हैं।

"जेएसएफसीएल की अधिप्राप्ति गतिविधि" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या (i) किसानों से धान की अधिप्राप्ति एमएसपी के अनुसार की गई थी, और किसानों को समय पर भुगतान किया गया था (ii) मिलर्स के द्वारा सीएमआर को एफसीआई को पंहुचा दिया गया था और आकस्मिक शुल्क का पूर्ण दावा किया गया और एफसीआई से वसूल किया गया था (iii) विभिन्न योजनाओं के तहत एफसीआई से विभिन्न खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति/उठाव योजना दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी और अधिप्राप्त/उठाई गई मात्रा का परिवहन कुशलता और मितव्ययिता पूर्वक से किया गया था (iv) गोदामों का प्रबंधन/व्यवस्थापन नियमों और मानक प्रचलनों के अनुसार किया गया था (v) कंपनी के खाते, सत्य एवं उचित छवि का प्रतिनिधित्व करते थे और सभी वित्तीय लेनदेन वित्तीय नियमों के अनुसार थे और कोष का उपयोग मितव्य्यता, कुशलता और प्रभावी ढंग से किया गया था, तथा

(vi) पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध थी और आंतरिक नियंत्रण/अनुश्रवन तंत्र मौजूद था और प्रभावी था।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि को सम्मिलित करते हुए जुलाई 2023 और जनवरी 2024 के मध्य कॉर्पोरेट कार्यालय, रांची और 24 जिला प्रबंधक (डीएम) कार्यालयों में से सरल यादृच्छिक नमूना (एसआरएस) विधि से चयनित नौ कार्यालयों[7] में की गई थी। धान की अधिप्राप्ति से संबंधित गतिविधियों के लिए, खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2018-19 से 2021-22 को माना गया था क्योंकि केएमएस एक

[7] चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, कोडरमा, पलामू, रांची और पश्चमी सिंहभूम का चयन सरल यादृच्छिक नमूना पद्धत्ति से आईडीईए के माध्यम से हुआ था। इसके अतिरिक्त हजारीबाग का चयन किया गया क्यूंकि नवम्बर 2022 तक डीएम चतरा और कोडरमा का संचालन डीएम हजारीबाग के द्वारा किया जाता था ।

वित्तीय वर्ष के नवंबर शुरू हो कर अगले वित्तीय वर्ष के जनवरी तक जाता है।

विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (6 जुलाई 2023) आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग और कंपनी के एमडी के साथ आयोजित निकास सम्मेलन (21 अगस्त 2024) में चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन में कंपनी/विभाग के विचारों को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.2 धान की अधिप्राप्ति

एमएसपी योजना के तहत धान की अधिप्राप्ति के लक्ष्य विभाग द्वारा तय किए जाते हैं। धान की अधिप्राप्ति जिला स्तरीय निगरानी समिति[8] (डीएलएमसी) द्वारा नियुक्त प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स)/वृहद क्षेत्र की बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (लैम्प्स) द्वारा की जानी थी। योजना के अंतर्गत, किसानों से एमएसपी पर पैक्स/लैम्प्स द्वारा धान की अधिप्राप्ति की जानी थी, जिसे टैग किए गए मिलरों को उपलब्ध कराना था और सीएमआर (धान की मिलिंग के बाद) एफसीआई को भेजा जाना था। एफसीआई, बदले में, कंपनी को अपनी अधिप्राप्ति पर किए गए आकस्मिक शुल्क[9] की प्रतिपूर्ति करेगा। धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया का प्रबंधन और उसमें किसानों को भुगतान झा.स. के ऑनलाइन ई-उपार्जन [10] पोर्टल

---

[8] समिति में सदस्यों का संयोजन: उपायुक्त (अध्यक्ष); अतिरिक्त कलेक्टर; जिला आपूर्ति पदाधिकारी; जिला सहकारिता पदाधिकारी; जिला कृषि पदाधिकारी; जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र; क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड और सम्बंधित जिलो के कंपनी के डीएम।

[9] एमएसपी, मंडी श्रम शुल्क, परिवहन शुल्क, समिति को कमीशन, कस्टडी और रखरखाव शुल्क, ब्याज शुल्क, मिलिंग शुल्क, नये जूट बोरों कि किमत तथा इसके परिवहन और पैकिंग शुल्क।

[10] एक डिजिटल प्लेटफार्म जिसकी डिजाईन और विकास राष्ट्रीय सुचना विज्ञानं केंद्र (एन.आई.सी) द्वारा किया गया है तथा जिसके द्वारा किसान खुद को पंजीकृत कर सकता है। किसानो द्वारा बेचीं गई धान कि प्रविष्टि पोर्टल में डिपार्टमेंट करता है, ऑनलाइन

की मदद से किया जा रहा था। संबंधित डीएम विभाग द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति के लक्ष्यों को पूरा करने, पोर्टल में खरीदे गए धान की मात्रा की प्रविष्टियां को सुनिश्चित करने और ऑनलाइन भुगतान आदेश तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। धान की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: धान की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को दर्शाने वाला प्रवाह चार्ट

- ई-उपार्जन पोर्टल के उपार्जन/बाजार ऐप के माध्यम से किसानों का पंजीकरण।
- जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा पैक्स/लैम्प्स और चावल मिलरों का चयन और टैगिंग।
- पंजीकृत किसानों को निर्धारित तिथि पर निर्धारित पैक्स/लैम्प्स पर अपना धान जमा करने के लिए एसएमएस भेजना ।
- पंजीकृत किसानों से पैक्स/लैम्प्स द्वारा धान प्राप्त किया जाता है और खरीद की गई मात्रा ई-उपार्जन पोर्टल में उसी दिन पैक्स/लैम्प्स पर प्रतिनियुक्त कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा दर्ज किया जाता है।
- पहली किस्त के रूप में किसानों को एमएसपी के 50 प्रतिशत का भुगतान खरीद के अगले दिन पीएफएमएस के माध्यम से डीएम द्वारा किया जाना है।
- डीएम के प्रवर्तन/वितरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध मिलरों द्वारा एफसीआई को अग्रिम सीएमआर की डिलीवरी और पैक्स/लैम्प्स से चावल मिलरों द्वारा धान उठाने के लिए मिलर्स/ट्रांसपोर्टरों को डीएम द्वारा जारी आदेश जारी करना।
- कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले मिलिंग शुल्क के विरुद्ध मिलरों द्वारा धान की मिलिंग और मिलरों द्वारा एफसीआई को सीएमआर की डिलीवरी।
- खरीद के 30 दिनों के भीतर डीएम द्वारा किसानों को अंतिम किस्त के रूप में एमएसपी के शेष 50 प्रतिशत और बोनस का भुगतान।
- कंपनी द्वारा धान की खरीद और मिलिंग पर किए गए आकस्मिक शुल्क के दावों को प्रस्तुत करना और एफसीआई द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति करना।

भुगतान आदेश पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है और किसानो को भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया किया कि केएमएस 2018-19 और 2021-22 में, कंपनी धान की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी, जैसा कि **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: केएमएस 2018-19 से 2021-22 के लिए कंपनी की धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य और उपलब्धियां

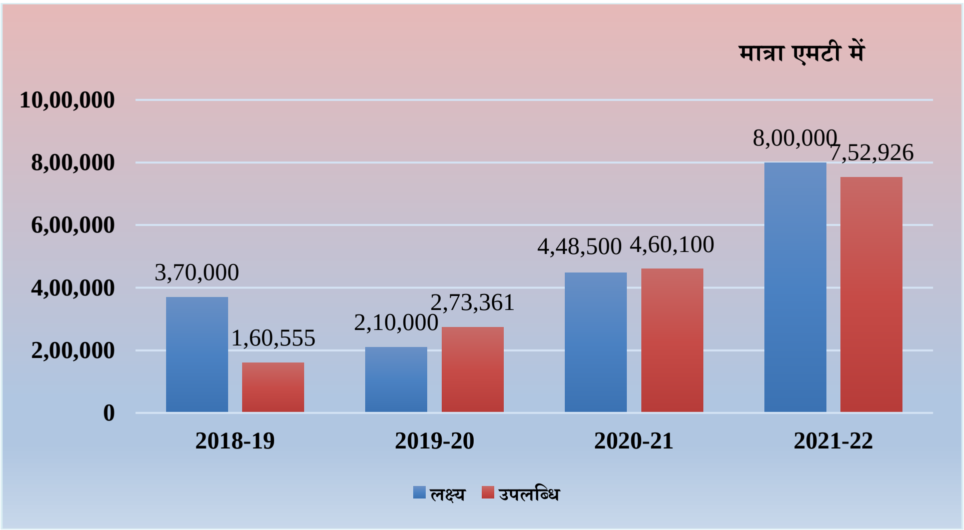

(स्रोतः कंपनी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों से संकलित)

कंपनी ने केएमएस 2018-22 के दौरान राज्य में ₹ 3,338.48 करोड़ मूल्य की कुल 16.47 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की थी, जिसमें कुल अधिप्राप्ति 18.29 लाख मीट्रिक टन के कुल लक्ष्य से कम थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में धान की अधिप्राप्ति में कमी के मुख्य कारण मिलरों द्वारा धान न उठाना और पैक्स/लैम्प्स के पास उपलब्ध सीमित भंडारण क्षमता थी।

3.1.2.1 किसानों को एमएसपी के भुगतान में विलम्ब

विभाग द्वारा जारी (जनवरी 2021) (केएमएस 2020-21 और उसके बाद लागू) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अधिप्राप्त धान के लिए एमएसपी का भुगतान दो किस्तों में किया जाना था अर्थात अधिप्राप्ति के अगले दिन 50 प्रतिशत और अधिप्राप्ति की तारीख के एक महीने के भीतर शेष 50 प्रतिशत। इसके अलावा, किसानों को भुगतान के सम्पादन हेतु सभी अधिप्राप्ति 'ई-उपार्जन' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जानी थी तथा सभी भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस/पीएफएमएस के माध्यम से किसानों के

बैंक खातों में किए जाने थे। डीएम को यह सुनिश्चित करना था कि पैक्स/लैम्प्स खरीदे गए धान की मात्रा के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां पोर्टल में करें, और उसी दिन पीएफएमएस के माध्यम से किसानों को भुगतान के लिए कंपनी द्वारा अनुमानित राशि जारी करने के लिए ऑनलाइन भुगतान आदेश तैयार करें ।

परीक्षण जांच किए गए नों जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,899.48 करोड़ मूल्य के 10.07 लाख मीट्रिक टन धान की कुल मात्रा 1,59,354 किसानों से खरीदी गई थी, और केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान 1,890.84 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि इस अवधि के दौरान, एमएसपी की पहली किस्त का भुगतान 1,46,910 किसानों (92 प्रतिशत) को 775 दिनों तक की विलम्ब से किया गया था। इसी प्रकार, दूसरी किस्त का भुगतान 1,22,898 किसानों (77 प्रतिशत) को 370 दिनों तक की विलम्ब से किया गया था। यह भी देखा गया कि अधिप्राप्ति की तिथि से 264 दिनों से 1,517 दिनों के बाद भी 1,741 किसानों को ₹ 8.64 करोड़ के एमएसपी का भुगतान (अप्रैल 2023) नहीं किया गया था।

एसओपी के अनुसार, पहली किस्त का भुगतान अधिप्राप्ति की तारीख के अगले दिन किया जाना था, जबकि दूसरी किस्त अधिप्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर जारी की जानी थी। हालांकि, इसके विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसानों को भुगतान में विलम्ब मुख्य रूप से मिलरों के द्वारा एफसीआई को सीएमआर समर्पित करने के बाद कंपनी द्वारा भुगतान जारी करने के चलन के कारण हो रही थी, जो कि एसओपी के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, ई-उपार्जन पोर्टल में पैक्स/लैम्प्स द्वारा मिलरों को भेजे गए धान की अधिप्राप्ति विवरण और मात्रा के प्रविष्टि में विलम्ब, ट्रांसपोर्टरों द्वारा धान उठाने में विलम्ब, पैक्स/लैम्प्स द्वारा मिलरों को धान की विलंबित/समर्पित नहीं करने, और मिलरों द्वारा एफसीआई को सीएमआर समर्पित करने में विलम्ब हुई थी।

धान अधिप्राप्ति और उसके विरुद्ध किए गए भुगतान का विवरण **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: किसानो को 2018-19 से 2021-22 के दौरान एमएसपी के भुगतान में विलम्ब।

जिला	धान कि कुल अधिप्राप्ति (एमटी)	एमएसपी का भुगतान किया जाना (₹ करोड़ में)	किसानो कि संख्या जिनसे धान ख़रीदे गए	किसानो कि संख्या जिन्हें प्रथम क़िस्त का भुगतान देरी से किया गया (प्रतिशत)	तक कि देरी (दिन)	किसानो कि संख्या जिन्हें द्वितीय क़िस्त का भुगतान विलम्ब से किया गया (प्रतिशत)	तक कि विलम्ब (दिन)
चतरा	3,81,741.35	72.49	8,833	7,706 *(87)*	775	6,754 *(76)*	368
दुमका	3,16,236.36	60.11	5,853	5,629 *(96)*	163	4,688 *(80)*	314
पूर्वी सिंहभूम	27,15,428.73	504.68	29,083	28,481 *(98)*	258	19,943 *(69)*	210
गढ़वा	6,94,704.49	134.77	9,019	7,168 *(79)*	199	9,019 *(100)*	278
हजारीबाग	34,06,603.14	642.09	61,218	57,318 *(94)*	314	47,247 *(77)*	370
कोडरमा	5,76,374.51	109.71	12,901	11,298 *(88)*	277	10,347 *(80)*	297
पलामू	6,78,409.71	131.61	10,426	8,755 *(84)*	166	10,426 *(100)*	333
रांची	8,39,829.04	157.15	13,009	11,703 *(90)*	175	8,318 *(64)*	215
पश्चिमी सिंहभूम	4,60,194.58	86.87	9,012	8,852 *(98)*	255	6,156 *(68)*	339
कुल	**1,00,69,521.91**	**1,899.48**	**1,59,354**	**1,46,910**	**775**	**1,22,898**	**370**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

इस प्रकार, सरकार द्वारा जारी एसओपी के बावजूद भी, किसानों को धान जमा करने के उपरांत समय पर एमएसपी का भुगतान नहीं मिल सका।

नमूना-जांचित जिलों में एमएसपी के भुगतान में विलम्ब को नीचे दिए गए **चार्ट 3.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3: जिलावार किसानों को एमएसपी के भुगतान में विलम्ब, दिनों में

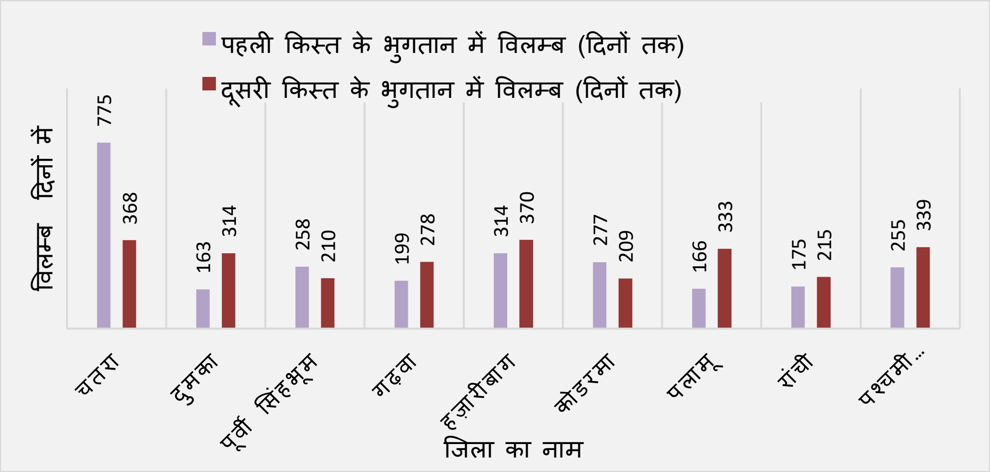

लेखापरीक्षा ने पोर्टल से निकाले गए अधिप्राप्ति विवरण और भुगतान विवरण दोनों का मिलान किया, और पाया कि धान की अधिप्राप्ति की

तिथि के क्रम का अनुपालन किए बिना डीएम द्वारा किसानों को भुगतान किया गया था। परिणामतः, जिन किसानों ने बाद की तिथि में धान समर्पित किया था, उन्हें पहले समर्पित करने वालों के पूर्व भुगतान किया गया था। किसानों को डीएम द्वारा अनुक्रम से भुगतान नहीं करने के उदाहरण नीचे चार्ट **3.4** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.4: 2018-19 से 2021-22 के दौरान किसानो को क्रम से बाहर एमएसपी के भुगतान

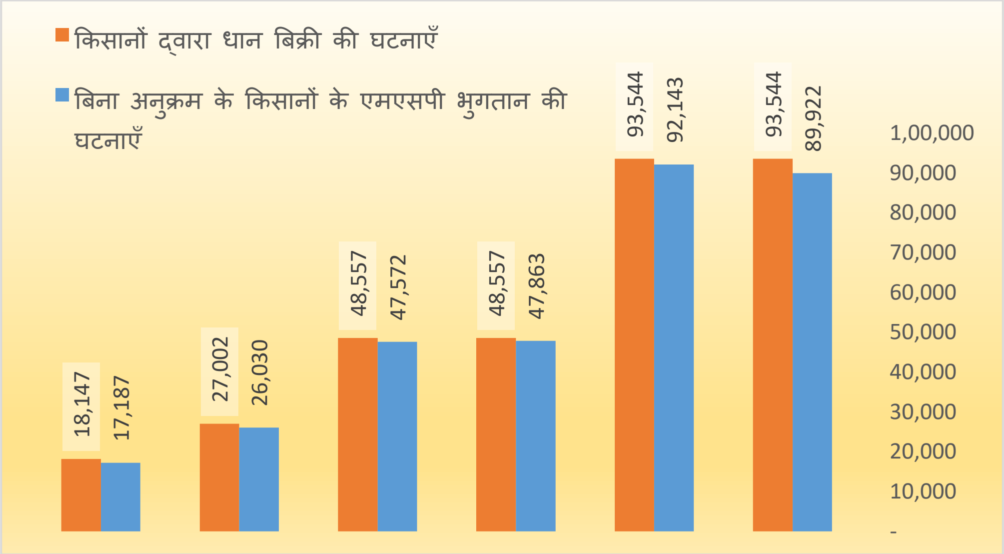

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों से संकलित)

इस प्रकार, केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान 97 प्रतिशत से अधिक मामलों में किसानों को क्रम के बाहर से भुगतान किया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि किसानों को भुगतान में विलम्ब प्रक्रियात्मक कारणों से हुई थी। यह भी कहा गया कि धान उठाने के बाद किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान किया गया था ताकि धान चावल मिलों तक पहुंच सके और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि धान की अधिप्राप्ति के क्रम में किसानों को भुगतान नहीं किया गया था और कहा कि केएमएस 2022-23 के दौरान धान की अधिप्राप्ति की तारीख के क्रम में किसानों को भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसओपी यह निर्धारित करता है कि धान की अधिप्राप्ति से संबंधित सभी प्रक्रियात्मक गतिविधियां अधिप्राप्ति के दिन ही पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा, धान उठाने और किसानों को भुगतान के साथ इसकी उपलब्धता को जोड़ने का कार्य झा.स. नीति के अनुरूप नहीं है।

अनुशंसा संख्या 1: कंपनी ई-उपार्जन पोर्टल में पैक्स/लैम्प्स द्वारा मिलरों को भेजे गए धान की अधिप्राप्ति और मात्रा के विवरण की समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित कर सकती है और एसओपी का पालन कर सकती है ताकि एमएसपी का भुगतान किसानों को समय पर किया जा सके।

3.1.3 धान की मिलिंग

डीएलएमसी (उपायुक्त की अध्यक्षता में) की अनुशंसा पर प्रत्येक केएमएस के लिए धान की मिलिंग के लिए कंपनी द्वारा चावल मिलरों को सूचीबद्ध किया जाता है, और निकटतम पैक्स/लैम्प्स के साथ टैग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, धान की मिलिंग हेतु, कंपनी की ओर से डीएम और मिलर के बीच एक समझौता भी निष्पादित किया जाता है। इस समझौते के अनुसार, मिलर को एफसीआई को अग्रिम सीएमआर या अग्रिम भुगतान के रूप में समकक्ष राशि या बैंक गारंटी[11] (बीजी) के साथ पांच कार्य दिवसों के अंदर प्रतिभूति जमाराशि और नए गनी बैग के लिए अग्रिम जमा करनी होती है। एफसीआई को सीएमआर समर्पित करने या मिलरों से बीजी या एकमुश्त अग्रिम प्राप्त करने की पुष्टि के बाद, डीएम टैग किए गए मिलरों को धान की समान मात्रा[12] जारी करने के लिए पैक्स/लैम्प्स को रिलीज़ ऑर्डर (आरओ) जारी करता है।

केएमएस 2019-20 के दौरान, कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, झा.स. ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2020) कि मिल मालिकों को, एफसीआई को बिना अग्रिम सीएमआर प्रस्तुत किए या समकक्ष राशि, या तो बीजी या एकमुश्त

[11] सम्बंधित केएमएस के लिए वैध

[12] खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, जीओआई द्वारा जारी लागत पत्रक के अनुसार झारखण्ड में धान से सीएमआर का आउट टर्न अनुपात 68 प्रतिशत है

अग्रिम के रूप में, धान उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, केएमएस 2020-21 और 2021-22 के दौरान धान की उच्च उपज को ध्यान में रखते हुए, झा.स. ने फिर से आदेश दिया (अप्रैल 2021 और मार्च 2022) कि कंपनी द्वारा मिलरों को अग्रिम रूप से धान एफसीआई को सीएमआर प्रस्तुत किए बिना या कंपनी को बीजी समर्पित किए बिना किया जा सकता है।

झा.स. के निर्देशों के अनुसार, डीसी को प्रत्येक चावल मिलर के लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करना था, जो अग्रिम सीएमआर या बीजी जमा किए बिना धान की डिलीवरी लेगा। इसके अलावा, इन मजिस्ट्रेटों द्वारा पैक्स/लैम्प्स से मिलरों को धान समर्पित करने और मिलरों द्वारा एफसीआई को सीएमआर प्रस्तुत करने के संबंध में डीएम को दैनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत की जानी थी। मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना था कि मिलर ने प्राप्त धान के प्रसंस्करण के लिए अपनी पूरी मिलिंग क्षमता का उपयोग किया हो। इन सभी गतिविधियों को डीसी की निगरानी/पर्यवेक्षण के तहत किया जाना था और इसकी जिला आपूर्ति टास्क फोर्स[13] द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जानी थी।

इसके अलावा, कंपनी ने सभी डीएम को निर्देश दिया (जून 2021/अप्रैल 2022) कि जो पैक्स/लैम्प्स टैग किए गए मिलरों को अधिप्राप्त धान समर्पित करने में विफल रहे और एफसीआई को समकक्ष सीएमआर समर्पित करने में विफल रहने वाले मिलरों के विरुद्ध मनी सूट के साथ प्राथमिकी दर्ज करे।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने पूर्वनिर्गत अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुपालन ना करने के मामले पाये, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं मे चर्चा किया गया है।

3.1.3.1 पैक्स/लैम्प्स और मिलरों के चयन में मानदंड का पालन न करना

[13] आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्यान के सुचारू वितरण, पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और अलग अलग क्षेत्रो में मूल्य में स्थिरता, के लिए उपायुक्त के अंतर्गत कार्यरत जिला स्तर पर स्थापित समिति

डीएलएमसी द्वारा प्रत्येक केएमएस के लिए पैक्स/लैम्प्स और मिलर नियुक्त किए जाते हैं, और कंपनी द्वारा अधिसूचित पात्रता मानदंडों के अनुसार, पैक्स/लैम्प्स और मिलर का चयन नहीं किया जाना था यदि उनके पास पिछले वर्षों के दौरान कोई बकाया था। इसके अलावा, कंपनी ने सभी डीएम को चूककर्ता पैक्स/लैम्प्स और मिलर्स के खिलाफ मनी सूट के साथ प्राथमिकी दायर करने का भी निर्देश दिया था (जून 2021 और अप्रैल 2022), ऐसा न करने पर संबंधित डीएम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केएमएस 2011-12 से 2018-19 के दौरान क्रमशः 703 पैक्स/लैम्प्स और 30 मिलर के विरुद्ध ₹ 83.67 करोड़ (जून 2021) और ₹ 91.28 करोड़ (मई 2022) की राशि बकाया थी। हालांकि, संबंधित डीएम ने ₹75.10 करोड़ की राशि के लिए केवल 15 मिलरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कंपनी इन प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में भी विफल रही।

नमूना-जांचित जिलों में लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

- नौ नमूना-जांचित जिलों में केएमएस 2011-12 से 2017-18 के लिए 256 पैक्स/लैम्प्स के विरुद्ध कुल ₹ 25.10 करोड़ बकाया थे। हालांकि, 105 पैक्स/लैम्प्स, जिन्होंने मिलरों को 2011-12 से 2017-18 के दौरान ₹9.64 करोड़ मूल्य का धान नहीं दिया था, को अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान धान की अधिप्राप्ति की अनुमति दी गई थी। इनमें से 25 पैक्स/लैम्प्स ने फिर से मिलरों को केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 11.22 करोड़ की राशि का धान नहीं दिया था। डीएम लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सका जो यह प्रदर्शित करे की चूककर्ता पैक्स/लैम्प्स के विरुद्ध बकाया राशि के बारे में डीएलएमसी को अवगत कराया गया था।

- इसी तरह, एफसीआई को 7.51 करोड़ की बकाया राशि के समकक्ष सीएमआर नहीं देने के बावजूद केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान

14 मिलरों[14] का चयन किया गया था। इसमें से चार मिलरों ने फिर से केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान एफसीआई को ₹ 30.09 करोड़ के समकक्ष सीएमआर समर्पित नहीं किया था।

- डीएम, पश्चिम सिंहभूम, ने केएमएस 2019-20 के लिए मिलर, "बालाजी राइस मिल (एसे सिरेमिक ऐंड केमिकल)" के साथ एक समझौता (मार्च 2020) निष्पादित किया, इस तथ्य के बावजूद कि मिलर ने केएमएस 2011-12, 2012-13 और 2018-19 के लिए ₹ 6.44 करोड़ मूल्य का सीएमआर समर्पित नहीं किया था और बावजूद कि कंपनी के आदेश (जनवरी 2020) मिलर को कोई मिलिंग कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। इसी तरह, डीएम, हजारीबाग ने एक अन्य मिलर, "हजारीबाग राइस मिल" के साथ समझौता किया (फरवरी 2020) जिसे कंपनी द्वारा केएमएस 2011-12 से 2017-18 के लिए ₹ 0.08 करोड़ मूल्य के सीएमआर समर्पित न करने के लिए भी प्रतिबंधित (जनवरी 2020) किया गया था।

इस प्रकार, कंपनी ने मिलरों को ₹ 41.31 करोड़[15] का अनुचित लाभ दिया और इन चूककर्ता मिलरों के खिलाफ प्राथमिकी और मनी सूट दायर करने में भी विफल रहा।

विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि डीएलएमसी द्वारा पैक्स/लैम्प्स का चयन किया गया था और डीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके उत्तर की समीक्षा के बाद कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आगे कहा कि केएमएस 2022-23 से पहले, केवल दो चावल मिलरों के खिलाफ बकाया थे और विभाग ने चूककर्ता मिलरों के साथ समझौते निष्पादित करने के लिए पश्चिम सिंहभूम के तत्कालीन डीएम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि सितंबर 2023 में कंपनी द्वारा प्रस्तुत ई-उपार्जन पोर्टल के आँकड़ों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा बकाया की गणना की गई थी। सितंबर 2023 के बाद बकाया राशि के निपटान का कोई साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत नहीं किया गया था (जुलाई 2024)।

---

[14] चतरा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और पश्चिम सिंहभूम

[15] धान: ₹ 11.22 करोड़ जोड़ सीएमआर: ₹ 30.09 करोड़

3.1.3.2 पैक्स/लैम्प्स द्वारा मिलरों को धान कि कम आपूर्ति

नौ नमूना-जांचित जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान किसानों से पैक्स/लैम्प्स द्वारा 2,039.45 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 10.07 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसमें से केवल 9.97 लाख मीट्रिक टन धान जिसका मूल्य 2,018.68 करोड़ रुपये था मिलरों को समर्पित की गई थी। इस प्रकार, ₹ 20.76 करोड़ मूल्य के 10,210 मीट्रिक टन धान को मिलरों को समर्पित नहीं किया गया था जिसका कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था। खरीदे गए धान की तुलना में मिलरों को धान उपलब्ध नहीं किया जाना, **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: धान की खरीद की तुलना में मिलर्स को धान समर्पित नहीं किया जाना

जिला	केएमएस 2018-22 में अधिप्राप्त की गई कुल धान (एमटी में)	मिलरों को धान समर्पित नहीं किया गया (एमटी में)			कम आपूर्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)		
		केएमएस 2018-19	केएमएस 2021-22	कुल	केएमएस 2018-19	केएमएस 2021-22	कुल
चतरा	38,174.13	286.02	384.38	670.40	0.54	0.79	1.33
रांची	83,982.90	376.26	-	376.26	0.71	-	0.71
पश्चिमी सिंहभूम	46,019.46	223.29	31.40	254.69	0.42	0.06	0.48
पूर्वी सिंहभूम	2,71,542.87	202.24	-	202.24	0.38	-	0.38
दुमका	31,623.64	-	701.08	701.08		1.44	1.44
कोडरमा	57,631.85	-	3,794.54	3794.54		7.78	7.78
हजारीबाग	3,40,660.32	-	1,124.72	1124.72		2.31	2.31
पलामू	67,840.97	-	2,217.30	2217.30		4.55	4.55
गढ़वा	69,470.45	-	869.28	869.28		1.78	1.78
	10,06,946.59	**1,087.81**	**9,122.70**	**10,210.51**	**2.05**	**18.71**	**20.76**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों से संकलित)

इस प्रकार, नमूना-जाचित नौ जिलों के चूककर्ता पैक्स/लैम्प्स से ₹ 20.76 करोड़ की वसूली की जानी थी। केवल दो डीएम (चतरा और कोडरमा) ने चूककर्ता पैक्स/लैम्प्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, और इन दोनों मामलों में मनी सूट दायर नहीं किया गया था (जुलाई 2024 तक)।

डीसी को प्रत्येक चावल मिलर के लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करना आवश्यक था, जो अग्रिम सीएमआर या बीजी प्रस्तुत किए बिना धान की

डिलीवरी लेगा (कोविड महामारी के कारण केएमएस 2019-20 के दौरान)। इन मजिस्ट्रेटों को मिलरों को धान समर्पित करने और एफसीआई को सीएमआर जमा करने का अनुश्रवण और दैनिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना था। इस संदर्भ में, दुमका (केएमएस 2019-20 के लिए) को छोड़कर, किसी भी अन्य नमूना-जाचित जिले में पर्यवेक्षण और दैनिक रिपोर्टिंग के लिए डीसी द्वारा मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के संबंध में रिकॉर्ड नहीं पाए गए। पैक्स/लैम्प्स द्वारा खरीदे गए धान या मिलरों द्वारा एफसीआई को सीएमआर प्रस्तुत करने के संबंध में रिपोर्ट, दुमका सहित नमूना-जाचित किसी भी जिले में डीएम को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2024) कि राज्य में मिलरों को ₹30.27 करोड़[16] मूल्य का धान समर्पित नहीं किया था। विभाग ने यह भी कहा कि पैक्स/लैम्प्स से वसूली की जा रही थी, और ₹ 2.64 करोड़ पहले ही वसूल किए जा चुके थे। आगे कहा गया कि डीएम को चूककर्ता पैक्स/लैम्प्स के खिलाफ प्राथमिकी और सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने यह भी स्वीकार किया कि मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की गई थी।

विभाग का उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अपने स्वयं के आदेश (जून 2021, जुलाई 2021 और अप्रैल 2022) के अनुरूप चूककर्ता पैक्स/लैम्प्स के विरुद्ध मनीसूट दर्ज करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा, इसी तरह के मामले में, कंपनी के रिटेनर काउंसेल ने चावल मिलर द्वारा प्राप्त धान के विरुद्ध सीएमआर समर्पित न करने के लिए मनीसूट दर्ज करने की भी सलाह दी थी (मार्च 2020) क्योंकि यह गबन का मामला था।

3.1.3.3 पैक्स/लैम्प्स की अपर्याप्त भंडारण क्षमता

[16] केएमएस 2018-19: 2,588.69 एमटी; 2019-20: 40.9 एमटी; 2020-21: 285.07 एमटी और 2021-22: 12,042.37 एमटी

उपायुक्त को डीएलएमसी के अध्यक्ष होने के नाते, धान अधिप्राप्ति केंद्रों के रूप में पैक्स/लैम्प्स के चयन से पहले पैक्स/लैम्प्स के गोदामों की भंडारण क्षमता की पर्याप्तता और उनकी भौतिक स्थिति सुनिश्चित करना था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि छह नमूना-जांचित जिलों में, पैक्स/लैम्प्स के गोदामों में प्रतिवेदित संग्रहीत धान की मात्रा उनकी भंडारण क्षमता से अधिक थी। पैक्स/लैम्प्स गोदामों की जिला-वार भंडारण क्षमता और प्रतिवेदित धान की संग्रहीत (मिलरों द्वारा पहली बार उठाने की तारीख तक) मात्रा **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: छह[17] नमूना-जांचित जिलों में पैक्स/लैम्प्स के गोदामों की भंडारण क्षमता और संग्रहीत धान की प्रतिवेदित मात्रा

जिला	2019-20			2020-21			2021-22		
	संग्रहण क्षमता	प्रतिवेदित संग्रहण की मात्रा	क्षमता के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	संग्रहण क्षमता	प्रतिवेदित संग्रहण की मात्रा	क्षमता के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)	संग्रहण क्षमता	प्रतिवेदित संग्रहण की मात्रा	क्षमता के विरुद्ध संग्रहण (प्रतिशत)
पश्चिमी सिंहभूम	1,700	6,248	368	1,600	4,995	312	1,800	17,294	961
पूर्वी सिंहभूम	4,050	23,444	579	5,450	15,810	290	5,450	41,892	769
रांची	2,400	6,496	271	3,000	7,436	248	2,700	7,564	280
कोडरमा	1,600	4,085	255	2,400	9,182	383	3,200	10,662	333
दुमका	-	-		2,200	6,168	280	2,800	10,560	377
हजारीबाग	4,100	35,142	857	5,800	68,403	1179	8,400	45,935	547

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

तालिका 3.3 से यह देखा जा सकता है कि रिपोर्ट कि गई संग्रहीत धान की मात्रा पैक्स/लैम्प्स की गोदाम क्षमता से 248 प्रतिशत से 1,179 प्रतिशत अधिक थी। इस प्रकार, डीएलएमसी ने पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित किए बिना पैक्स/लैम्प्स का चयन किया था।

[17] चतरा, पलामू और गढ़वा जिले में धान कि खरीददारी केवल केएमएस 2021-22 में की गई थी। अतः विश्लेषण के लिए सम्मिलित नहीं किया गया।

विभाग ने यह स्वीकार करते हुए कि भंडारण क्षमता सीमित थी, कहा (जुलाई 2024) कि कुछ जिलों में, झा.स. संकल्प (दिसंबर 2023) के पालन में खरीदे गए धान के भंडारण के लिए बाजार समितियों और निजी गोदामों का उपयोग किया गया था और अतिरिक्त भंडारण बनाया गया था क्योंकि धान के मौसम के दौरान लगातार उठाव होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झा.स. संकल्प (दिसंबर 2023) केवल केएमएस 2023-24 के लिए लागू था और निजी गोदामों का उपयोग करने के लिए डीएलएमसी की मंजूरी की आवश्यकता थी। विभाग का यह तर्क कि निरंतर उठाव के कारण अतिरिक्त भंडारण प्रतिवेदित हुई, भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने केवल गोदामों से पहली बार उठाने की तारीख तक संग्रहीत अतिरिक्त मात्रा पर विचार किया है।

3.1.3.4 मिलरों से एमएसपी/बोनस/ब्याज इत्यादि कि उगाही नहीं होना

झारखंड सीएमआर (दायित्व और नियंत्रण) आदेश 2016[18] के अनुसार, यदि कोई मिलर नियत तिथि के भीतर एफसीआई को सीएमआर की आवश्यक मात्रा जमा करने में विफल रहता है, तो बोनस (यदि कोई हो) सहित धान की समान मात्रा के लिए एमएसपी, अधिप्राप्ति केंद्रों के लिए कमीशन, धान के परिवहन और हैंडलिंग में खर्च की गई लागत, और ब्याज जैसा लागू हो, मिलरों से वसूल की जानी थी। इसके अलावा, कंपनी ने सभी डीएम को चूककर्ता चावल मिलरों के खिलाफ मनी सूट के साथ एफआईआर दायर करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2022), ऐसा न करने पर संबंधित डीएम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और विभागीय कार्यवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी।

नौ नमूना-जांचित जिलों में से आठ में लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 33 मिलरों ने केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान मिलिंग के लिए उनके द्वारा उठाए गए धान के खिलाफ एफसीआई को समकक्ष मात्रा का सीएमआर जमा नहीं किया था। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई थी, 51 चूक अवसरों पर इन 33 मिलरों से 24,215.17 मीट्रिक टन

---

18 2020 में संशोधित

सीएमआर की कम जमा के लिए ₹ 72.81 करोड़ की राशि वसूली योग्य[19] थी।

यह भी पाया गया कि:

•डीएम, पश्चिम सिंहभूम ने चार चूककर्ता मिलरों में से केवल एक मिलर के विरुद्‌ध प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन इन मिलरों में से किसी के खिलाफ मनी सूट दायर नहीं किया था।

•डीएम, हजारीबाग ने चार चूककर्ता मिलरों के खिलाफ मनी सूट दायर नहीं किया था और केएमएस 2021-22 के दौरान उनमें से केवल एक के विरुद्‌ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह भी देखा गया था कि मिलर जिसके विरुद्‌ध एफआईआर दर्ज की गई थी, केएमएस 2018-19 से 2020-21 में चूककर्ता होने के बावजूद केएमएस 2021-22 में फिर से नियुक्त किया गया था।

•आगे यह देखा गया कि अन्य नमूना-जांचित जिलों के डीएम द्‌वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कंपनी ने प्राथमिकी/मनी सूट दाखिल करने के संबंध में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए दोषी डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

•लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि झारखंड सीएमआर (दायित्व और नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के बावजूद, ऐसे नुकसान के खिलाफ विभाग की रक्षा के लिए मिलरों के साथ समझौतों में दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित कोई खंड शामिल नहीं किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि डीएम को चूककर्ता चावल मिलरों के खिलाफ प्राथमिकी और सर्टिफिकेट केस दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें वर्जित/ब्लैकलिस्ट किया गया था। यह भी कहा गया कि पश्चिम सिंहभूम (केएमएस 2019-20) में एक चूककर्ता को छोड़कर, केएमएस 2020-21 के दौरान किसी भी मिलर के खिलाफ कोई बकाया नहीं था। इसके अलावा, केएमएस 2021-22 के दौरान चतरा और दुमका में किसी भी चावल मिलर के खिलाफ कोई बकाया नहीं था।

---

19 ₹ 39,223 छोड़कर 22 मिलर्स से संबंधित ₹ 2 से लेकर ₹ 9,113 के बीच ।

चूककर्ता मिलरों को वर्जित करने के संबंध में विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि कंपनी ने इन मिलरों को बाद के केएमएस के लिए काम आवंटित किया था, जैसा कि **कंडिका 3.1.3.1**में चर्चा की गई है इसके अलावा, बकाया देय राशि के संबंध में विभाग का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने सितंबर 2023 में कंपनी द्वारा प्रस्तुत ई-उपार्जन पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना की है।

3.1.3.5 मिलरों को अनुचित लाभ

एक मिलर को मिलिंग के लिए किसानों से पैक्स/लैम्प्स द्वारा खरीदे गए धान को उठाना पड़ता है और एफसीआई को समतुल्य सीएमआर जमा करना पड़ता है। प्रत्येक केएमएस के लिए धान की मिलिंग के सीएमआर के लिए मिलरों के साथ डीएम द्वारा निष्पादित समझौते के अनुसार, मिलर द्वारा एफसीआई को अग्रिम में एक लॉट[20] सीएमआर, प्रतिभूति जमा राशि[21] (एसडी) और नए गनी बैग (जीबी) के लिए अग्रिम[22] जमा करना होगा। यदि मिलर द्वारा कोई अग्रिम सीएमआर जमा नहीं किया जाता है, तो आरटीजीएस के माध्यम से एकमुश्त[23] अग्रिम, मिलर और डीएम के बीच समझौते की तारीख से पांच दिनों के भीतर डीएम को जमा किया जाना था। इसके अलावा, मिलर द्वारा प्रस्तुत सीएमआर/एकमुश्त अग्रिम/बीजी के मूल्य के विरुद्ध केवल धान की समान मात्रा, डीएम द्वारा बाद में प्रदान की जाएगी। हालांकि झा.स. ने इस शर्त के साथ अग्रिम सीएमआर प्रस्तुत करने के प्रावधान में ढील24 दिया कि डीसी उन मिलरों के लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगे, जिन्हें केएमएस 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के

---

[20] 290 क्विंटल सीएमआर।

[21] ₹ 50,000 केएमएस 2018-19 के लिए और उसके बाद ₹ एक लाख।

[22] केएमएस 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः ₹ 25,000, ₹ 40,000, ₹ 68,684 और ₹ 50,000।

[23] केएमएस 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः ₹ 10 लाख, ₹10.50 लाख और ₹ 10.50 लाख, एसडी और नए गनी बैग के लिए अग्रिम के साथ

[24] अग्रिम सीएमआर के खंड और अग्रिम धान के प्रावधान के आदेश को शिथिल करने का आदेश अप्रैल 2020 (2019-20), अप्रैल 2021 (2020-21) और मार्च 2022 (2021-22) में जारी किए गए थे

लिए अग्रिम धान प्रदान किया जाएगा, मिलरों को अभी भी एसडी और जीबी की लागत प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित जिलों में, 235 मिलरों में से केवल 63 ने केएमएस 2018-19 से केएमएस 2021-22 के दौरान एसडी प्रस्तुत की थी, जैसा कि **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में मिलरों द्वारा प्रतिभूति जमा राशि जमा न करना

केएमएस	मिलरों की कुल संख्या	मिलरों जिन्होंने प्रतिभूति जमा राशि जमा नहीं किए थे			जिला (मिलरों की संख्या)
		मिलरों की संख्या	रकम (₹ *लाख में)*	प्रतिशत	
2018-19	54	40	20.00	74	चतरा (3), दुमका (7), पूर्वी सिंहभूम (18), हजारीबाग (1), कोडरमा (1), रांची (4) और पश्चिमी सिंहभूम (6)
2019-20	46	18	18.00	39	दुमका (8), हजारीबाग (2), कोडरमा (2) और पश्चिमी सिंहभूम (6)
2020-21	50	44	44.00	88	दुमका (8), पूर्वी सिंहभूम (22), हजारीबाग (6), कोडरमा (2), रांची (1) और पश्चिमी सिंहभूम (5)
2021-22	85	70	70.00	82	चतरा (3), दुमका (7), पूर्वी सिंहभूम (22), गढ़वा (10), हजारीबाग (6), कोडरमा (2), पलामू (14) और पश्चिमी सिंहभूम (6)
कुल	**235**	**172**	**152.00**	**73**	

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

जैसा कि **तालिका 3.4** से देखा जा सकता है, 172 (73 प्रतिशत) मिलरों ने ₹1.52 करोड़ की एसडी जमा नहीं की थी। कंपनी ने मिलरों द्वारा एसडी प्रस्तुत न करने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और इस प्रकार, सीएमआर की कम आपूर्ति के खिलाफ नुकसान को समायोजित करने का अवसर खो दिया।

आगे यह देखा गया कि:

• आपूर्ति किए गए धान के खिलाफ आवश्यक सीएमआर प्रस्तुत करने से पहले डीएम, पूर्वी सिंहभूम के तहत नौ मिलरों का एसडी (जून 2020 और अगस्त 2020 के बीच) समाप्त हो गया था।

• डीएम, पश्चिम सिंहभूम के तहत एक मिलर, जिसने एसडी के रूप में ₹ 20 लाख का चेक मार्च 2020 में जमा किया था, ने ₹ 1.67 करोड़ मूल्य का 553.26 एमटी सीएमआर जमा नहीं किया था। हालांकि, नकदीकरण से पहले उक्त चेक की वैधता समाप्त हो गई थी।

इस प्रकार, एसडीएस के पुनर्वैधीकरण में डीएम की निष्क्रियता के कारण, बकाया देय राशि की आंशिक वसूली भी नहीं की जा सकी।

• लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान, पैक्स/लैम्प्स ने ₹ 332.52 करोड़ मूल्य के कुल 1,62,745.91 मीट्रिक टन धान एफसीआई को अग्रिम सीएमआर जमा किए बिना या डीएम को समतुल्य राशि जमा किए बिना (झा.स. द्वारा प्रदान की गई छूट के अनुसार) केएमएस 2019-20 से 2021-22 के दौरान दिया था। हालांकि, सरकार के आदेशों के उल्लंघन कर, मिलिंग गतिविधि की निगरानी को सक्षम करने के लिए नौ नमूना-जांचित जिलों में डीसी द्वारा कोई मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया गया था।

• इसके अलावा, झारखंड सीएमआर (दायित्व और नियंत्रण) 2016 (2020 में संशोधित) के अनुसार, प्रत्येक मिलर को कंपनी द्वारा प्रदान किए गए धान की मिलिंग के लिए अपनी मिलिंग क्षमता का 30 प्रतिशत उपयोग करना आवश्यक था, और उसके बाद ही, मिलरों को उनकी मिलिंग क्षमता का अन्य/स्वयं के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, केएमएस 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए, झा.स. ने डीसी को अग्रिम सीएमआर या बीजी जमा किए बिना कंपनी द्वारा प्रदान किए गए धान की मिलिंग के लिए मिलिंग क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान 63 मिलरों की मिलिंग क्षमता, सुपुर्दगी प्रमाण पत्र और एफसीआई को सीएमआर समर्पित करने की तिथि की संवीक्षा से पता चला कि नौ नमूना-जांचित जिलों में एफसीआई को कुल 3,15,565.83 मीट्रिक टन सीएमआर समर्पित किया गया था। हालांकि, 1,99,166.75 मीट्रिक टन (63.11 प्रतिशत) सीएमआर को मिलिंग क्षमता के केवल 30 प्रतिशत का उपयोग करके (चार दिनों के अंतराल को ध्यान में रखने के बाद जैसे सीएमआर के सुखाने के लिए 48 घंटे, बैगिंग के लिए एक दिन, और परिवहन के लिए एक दिन) एक और 286 दिनों के बीच की विलम्ब से मिलिंग किया गया था।

मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति न होने के कारण (जैसा कि ऊपर और **कंडिका 3.1.3.2** में चर्चा की गई है) कंपनी द्वारा प्रदान किए गए धान के लिए मिलिंग क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने में विफलता हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि डीएम को इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा गया कि चूककर्ता चावल मिलरों के खिलाफ प्राथमिकी और सर्टिफिकेट केस दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसकी निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था। विभाग ने यह भी कहा कि चावल मिलों की मिलिंग क्षमता का 30 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिलों को नियमित निर्देश जारी किए गए थे और सीएमआर समर्पित करने में विलम्ब के लिए झारखंड में अपर्याप्त भंडारण क्षमता को कारण माना गया। हालांकि, एसडी की समाप्ति और चूककर्ता मिलरों के खिलाफ मनी सूट दाखिल न करने पर जवाब मौन था।

3.1.3.6 धान की अधिप्राप्ति हेतु किए गए आकस्मिक शुल्क का कम दावा

कंपनी द्वारा किसानों को एमएसपी के भुगतान, मिलिंग शुल्क, पैक्स/लैम्प्स को कमीशन, ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज (यदि कोई हो), प्रशासनिक शुल्क, नए गनी बैग की लागत आदि पर किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति एफसीआई द्वारा जेएसएफसीएल को की जानी थी। यह प्रतिपूर्ति एफसीआई

को प्रस्तुत सीएमआर की मात्रा और डीएम द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर की जानी थी। दावों को मौसम की समाप्ती पर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई कंपनी के वार्षिक खातों और दस्तावेजी साक्ष्य[25] के साथ-साथ प्रत्येक मद के लिए विस्तृत औचित्य के साथ जल्द से जल्द एफसीआई को प्रस्तुत किया जाना था।

कंपनी, हालांकि जून 2010 में निगमित थी, ने प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा इंगित करने बावजूद स्थापना के बाद से अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने ₹ 692.73 करोड़[26] के आकस्मिक शुल्क की तुलना में केएमएस 2011-12 से 2021-22 के दौरान एफसीआई से आकस्मिक शुल्क के रूप में केवल ₹ 93.51 करोड़ का दावा किया था। यह भी देखा गया कि, इसमें से, इसे एफसीआई से केवल ₹ 22.88 करोड़ की प्रतिपूर्ति मिल सकती है।

कंपनी द्वारा आकस्मिक शुल्क के दावे नहीं करने/कम दावे करने और एफसीआई द्वारा कम प्रतिपूर्ति, कंपनी के वार्षिक खातों को अंतिम रूप नहीं देने और पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य, जो आवश्यक था, प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि कंपनी के खातों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण आकस्मिक बिलों के दावों में विलम्ब हुई।

3.1.3.7 फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) के लिए आपूर्तिकर्ताओं के पैनल में अनियमितता

देश में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने के भारत सरकार के निर्णय (अक्टूबर 2021) के अनुसार,

---

[25] एमएसपी का भुगतान, बाज़ार मूल्य कि अधिसूचना, समितियों के साथ एकरारनामा की प्रति, अधिग्रहण और वितरण का स्टॉक प्रवाह विवरण, जीबी के उपयोगिता प्रमाणपत्र, परिवहन का विवरण इत्यादि।

[26] जूट के बोरे, पैक्स/लैम्प्स को कमीशन, प्रशासनिक शुल्क, परिवहन और हथालन शुल्क, बाज़ार शुल्क, ख़रीदे गए धान के पैकिंग के लिए उपयोग शुल्क और ब्याज शुल्क।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल की खरीद के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। तदनुसार, कंपनी ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) के आपूर्तिकर्ताओं के सूचीबद्ध करने के लिए ई-निविदा के बाद रिवर्स ई-नीलामी के लिए एक एजेंसी[27] को अधिकृत किया। एजेंसी को कंपनी के जीएम (मानव संसाधन और सतर्कता), जीएम (वित्त और बजट) और जीएम (संचालन) से संयोजित एक निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) के माध्यम से निविदा को अंतिम रूप देने के लिए भाग लेने वाले बोलीदाताओं की एक मूल्यांकन शीट कंपनी को प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केएमएस 2022-23 और 2023-24 के लिए 20 किलोग्राम बैग में तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ एफआरके की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के पैनल के लिए एक ई-निविदा आमंत्रित की गई थी (दिसंबर 2022)। 22 दिसंबर 2022 को जारी प्रस्तावों के अनुरोध (आरएफपी) में पात्रता/पूर्व-योग्यता शर्त के अनुसार, केवल अपनी एफआरके विनिर्माण इकाई वाले आपूर्तिकर्ता ही पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन/पंजीकरण करने के पात्र थे। कंपनी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित दर पर 50:30:20 के अनुपात में पात्र एल1, एल2 और एल3 बोलीदाताओं के बीच अनुबंध की मात्रा को विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखा, यदि एल2 और एल3 बोलीदाता स्वीकृत दर पर एफआरके की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 बोलीदाताओं ने आरएफपी में भाग लिया था, जिनमें से सात (फरवरी 2023) तकनीकी रूप से योग्य पाए गए थे। ई-निविदा एजेंसी के तकनीकी मूल्यांकन और सिफारिश के आधार पर, टीईसी ने रिवर्स ई-नीलामी आयोजित करने के लिए ई-निविदा एजेंसी को अनुमति देने की सिफारिश (3 फरवरी 2023) की थी। हालांकि, सात तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में से केवल पांच ने रिवर्स ई-नीलामी बोली में अपनी दरें प्रस्तुत की थीं।

[27] सी1 इंडिया प्राइवेट लि.

ई-निविदा एजेंसी ने इन बोलीदाताओं की मूल्यांकन शीट, जिसमे ₹ 58.79 प्रति किलोग्राम की दर से मेसर्स मणिकांत कंसर्न एल1 बोलीदाता था, को टीईसी को प्रस्तुत किया (फरवरी 2023) टीईसी ने एल1, एल2 और एल3 बोलीदाताओं के बीच अनुबंध की मात्रा को क्रमशः 50:30:20 के अनुपात में विभाजित करने की भी सिफारिश की, क्योंकि वे एल1 दर पर एफआरके की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुए थे। इसके बाद, कंपनी द्वारा तीनों एजेंसियों को जिला-वार आपूर्ति आदेश (मार्च 2023) जारी किए गए।

हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एल1 बोलीदाता केवल एक ट्रेडिंग फर्म थी और निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी क्योंकि पैनल के लिए आवेदन/पंजीकरण के समय इसके पास एफआरके की कोई विनिर्माण इकाई नहीं थी। आगे यह देखा गया कि एल1 बोलीदाता को एफआरके संयंत्र की स्थापना (सीओई) के लिए सहमति केवल अगस्त 2023 में तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई थी, अर्थात आपूर्ति आदेश जारी होने के पांच महीने के बाद। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार एल2 और एल3 बोलीदाता भी एफआरके के निर्माता नहीं थे।

इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कि चयनित बोलीदाता कार्य प्रदान के समय एफआरके के निर्माता थे,कोई दस्तावेजी साक्ष्य कंपनी के पास उपलब्ध नहीं थे।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि निविदा को आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और कंपनी ने उनका स्पष्टीकरण मांगा था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के टीईसी ने तकनीकी के साथ-साथ वित्तीय बोलियों के अनुमोदन की सिफारिश की थी।

अनुशंसा सं. 2: कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि पैक्स/लैम्प्स मिलरों को अधिप्राप्ति की गई धान की पूरी मात्रा प्रदान करे और मिलर एफसीआई को सीएमआर की पूरी मात्रा जमा करें। एमएसपी/बोनस/ब्याज की वसूली हेतु

कारवाई नहीं करने के लिए चूककर्ता पैक्स/लैम्प्स, मिलरों और विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

अनुशंसा सं. 3: कंपनी सभी आवश्यकताओं के साथ एमएसपी के दावों और एफसीआई को पूर्ण आकस्मिक शुल्क समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकती है।

अनुशंसा सं. 4: कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ पैक्स/लैम्प्स और मिलरों को सूचीबद्ध करने के लिए सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन किया जाए।

3.1.4 खाद्यान्न की खरीद

भारत सरकार ने किफायती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा प्रदान करने एवं पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एनएफएसए, 2013 को अधिनियमित (सितंबर 2013) किया। एनएफएसए के अनुसार, प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच)[28] व राशन कार्ड रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार से सब्सिडी[29] वाले मूल्यों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार था। इसके अलावा, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)[30] के तहत कवर किए गए परिवार भी प्रति परिवार प्रति माह पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार थे।

एनएफएसए के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक/वार्षिक आवंटन के मुकाबले एफसीआई से चावल और गेहूं की अधिप्राप्ति/उठाने और उचित

---

[28] झारखंड में, (पीएचएच) (प्राथमिक गृहस्थी परिवार) उन परिवारों को संदर्भित करता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार सामाजिक-आर्थिक मानदंडों, जैसे आय स्तर, व्यवसाय और भेद्यता, के आधार पर प्राथमिक गृहस्थी (पीएचएच) परिवारों की पहचान करती है। प्राथमिक गृहस्थी (पीएचएच) श्रेणियों में मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जैसे छोटे और सीमांत किसान, दिहाड़ी मज़दूर और अन्य वंचित समूह शामिल हैं, और उच्च आय वाले परिवार, सरकारी कर्मचारी, करदाता, या बड़ी जोत वाले परिवार इससे बाहर हैं।

[29] 01 जनवरी 2023 से निःशुल्क ।

[30] AAY परिवार बिना किसी स्थिर आय के सबसे गरीब परिवारों में से एक है ।

मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों को वितरण के लिए डीएसडी एजेंटों को इन खाद्यान्नों को वितरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

एफसीआई एनएफएसए के तहत जिले-वार आवंटन के अनुसार, टैग किए गए एफसीआई गोदामों से चावल/गेहूं जारी करने के लिए जिलों के डीएम को जारी आदेश (आरओ) जारी करता है। कंपनी को एफसीआई को चावल और गेहूं की लागत का भुगतान अग्रिम रूप से क्रमशः ₹ 3 प्रति किलोग्राम और ₹ 2 प्रति किलोग्राम की दर से करना था। एफसीआई से कंपनी गोदामों तक इन खाद्यान्नों के परिवहन के लिए, कंपनी को झा.स. से परिचालन अनुदान के रूप में ₹ 75 प्रति क्विंटल प्राप्त करना था। कंपनी की ओर से डीएम चावल और गेहूं की लागत के साथ-साथ संबंधित जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) से परिवहन की लागत का दावा करेगा। इसके अलावा, कंपनी के गोदाम से खाद्यान्न उठाने और एफपीएस डीलरों को वितरण के लिए पीएचएच और एएवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या के अनुसार डीएसओ द्वारा डीएसडी को स्टॉक इश्यू ऑर्डर (एसआईओ) जारी किए जाने थे।

3.1.4.1 एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों का अल्प उठाव के दावा करने मे चुक

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आवंटन के आधार पर, कंपनी ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान आरओ के मुकाबले एफसीआई से 67.59 लाख मीट्रिक टन चावल और 15.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति की थी। हालांकि, यह 2018-19 से 2021-22 के दौरान एफसीआई से ₹ 7.21 करोड़[31] मूल्य के 16,808.09 मीट्रिक टन चावल और 10,838.08 मीट्रिक टन गेहूं नहीं उठा सका। आरओ के खिलाफ कम उठाव टैग किए गए एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न की अनुपलब्धता और खाद्यान्न उठाने के लिए कंपनी के परिवहन सेवा प्रदाता द्वारा वाहन प्रदान करने में अपर्याप्त संख्या / विलम्ब के कारण था।

---

31 (16,808.09x1,000x₹ 3) + (10,838.08x1,000x₹ 2)

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कंपनी एफसीआई से अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के दौरान ₹ 32.50 करोड़ मूल्य के कुल 88,716 मीट्रिक टन चावल और 29,429 मीट्रिक टन गेहूं का उठाव नहीं कर सकी। हालांकि, एफसीआई को चावल और गेहूं की अग्रिम लागत के रूप में भुगतान की गई कुल राशि ₹ 32.50 करोड़ रुपये की तुलना में, कंपनी ने केवल ₹ 2.42 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया। इसमें से, एफसीआई द्वारा कंपनी को ₹ 0.69 करोड़ रुपये वापस किए गए थे और डीएम, जमशेदपुर के बकाया देय राशि[32] के प्रति ₹ 2.28 करोड़ रुपये समायोजित किए गए थे (दिसंबर 2023)। इस प्रकार, रिफंड के लिए कंपनी द्वारा एफसीआई को कुल ₹ 29.53 करोड़ के दावे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, कम उठाव और रिफंड का दावा करने में चुक के कारण, कंपनी एफसीआई से ₹ 29.53 करोड़ की वसूली करने में विफल रही

विभाग ने स्वीकार किया (जुलाई 2024) कि एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न की कमी के कारण खाद्यान्न का कम उठाव हुआ था।

हालांकि, खाद्यान्न उठाव के लिए वाहनों की अनुपलब्धता/कम उपलब्धता और 29.53 करोड़[33] रुपये की वापसी के लिए एफसीआई को दावे प्रस्तुत न करने के संबंध में जवाब मौन था।

3.1.4.2 परिवहन पर ₹ 3.46 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

एफसीआई मासिक आवंटन के आधार पर अपने संबंधित टैग किए गए गोदामों से खाद्यान्न उठाने के लिए कंपनी को आरओ जारी करता है। तदनुसार, कंपनी इन आरओ / आवंटन के आधार पर एफसीआई गोदाम से खाद्यान्न उठाती है।

छह नमूना-जांचित जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि नामित/टैग किए गए एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न की कमी के कारण, एफसीआई जारी आरओ के अनुसार 7,78,271.35 मीट्रिक टन खाद्यान्न की आपूर्ति करने में असमर्थ रहा। नतीजतन, एफसीआई ने इन आरओ को अन्य बिना टैग वाले

[32] ₹ 2.31 करोड़

[33] ₹ 32.50 करोड़ - (₹ 0.69 करोड़ + ₹ 2.28 करोड़) = ₹ 29.53 करोड़

एफसीआई गोदामों में पुनर्निर्देशित किया, जो दूर (टैग किए गए गोदामों से) स्थित थे। परिणामस्वरूप, कंपनी को जून 2022 से मार्च 2023 के दौरान बिना टैग किए गए गोदामों से खाद्यान्न के परिवहन पर ₹ 3.46 करोड़[34] की अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी।

हालांकि डीएम ने कंपनी को मामले की सूचना दी (नवंबर 2022 से मई 2023) हालांकि, कंपनी ने बिना टैग किए गए गोदामों से परिवहन पर किए गए अतिरिक्त व्यय के लिए एफसीआई से प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए कार्रवाई नहीं की।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि समय पर लाभार्थियों को वितरित करने के लिए खाद्यान्न उठाना कंपनी के लिए बाध्यकारी था। यह भी कहा गया था कि कंपनी ने प्रतिपूर्ति के लिए बार-बार एफसीआई से अनुरोध किया था।

लेखापरीक्षा ने सबूत नहीं पाया कि कंपनी ने एफसीआई से ₹ 3.46 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा किया था।

3.1.4.3 पीएमजीकेएवाई और मध्याहन भोजन (एमडीएम) योजना के तहत खाद्यान्न का कम उठाव

भारत सरकार ने एनएफएसए के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों के लिए उन्हें सामान्य एनएफएसए पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)[35] शुरू की (मार्च 2020)।

इसके अलावा, राज्य द्वारा स्कूली बच्चों के पोषण और उपस्थिति में सुधार के लिए मध्याहन भोजन (एमडीएम) भी लागू किया जा रहा था। इस योजना के तहत, एफसीआई गोदामों से स्कूलों को चावल प्रदान किया जाना था। कंपनी के माध्यम से झा.स. द्वारा चावल उठाने के लिए आवंटन,

---

[34] डीएम, पश्चिमी सिंहभूम: ₹ 1.18 करोड़; डीएम, पूर्वी सिंहभूम: ₹ 1.24 करोड़; डीएम, रांची: ₹ 0.96 करोड़; डीएम, गढ़वा: ₹ 0.04 करोड़; डीएम, दुमका: ₹ 0.02 करोड़; डीएम, हजारीबाग: ₹ 0.02 करोड़

[35] इस योजना को शुरू में अप्रैल 2020 से जून 2020 तक तीन महीने के लिए लागू किया गया था, जिसे (जून 2020) नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना को फिर से पुनर्जीवित किया गया (मई 2021) और मई 2021 से दिसंबर 2022 तक लागू किया गया

भारत सरकार द्वारा तिमाही आधार पर किए गए थे, और परिवहन लागत के विरुद्ध परिचालन अनुदान की प्रतिपूर्ति संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) द्वारा ₹ 75 प्रति क्विंटल की दर से की जानी थी।

2020-23 के दौरान पीएमजीकेएवाई और एमडीएम के तहत कंपनी द्वारा खरीदे और उठाए गए चावल और गेहूं का विवरण **तालिका 3.5** में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: आवंटन के विरुद्ध उठाए गए चावल और गेहूं का विवरण

(मात्रा एम टी मे)

वर्ष	पीएमजीकेएवाई (अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 तक)						एमडीएम		
	चावल			गेहूं			चावल		
	भारत सरकार द्वारा आबंटित मात्रा	कंपनी द्वारा उठाई गई मात्रा	कंपनी द्वारा कम उठाई गई मात्रा	भारत सरकार द्वारा आबंटित मात्रा	कंपनी द्वारा उठाई गई मात्रा	कंपनी द्वारा कम उठाई गई मात्रा	भारत सरकार द्वारा आबंटित मात्रा	कंपनी द्वारा उठाई गई मात्रा	कंपनी द्वारा कम उठाई गई मात्रा
2019-20	-	-	-	-	-	-	77,803.45	75,388.05	2,415.40
2020-21	9,20,699.73	9,16,654.67	4,045.06	74,627.17	72,143.74	2,483.43	92,250.23	92,250.23	0
2021-22	8,70,103.73	8,64,596.57	5,507.16	5,72,965.33	5,71,736.69	1,228.63	94,124.73	94,124.73	0
2022-23	7,59,774.85	7,27,590.60	32,184.25	2,62,900.22	2,62,641.32	258.91	94,856.64	94,856.64	0
कुल	**25,50,578.31**	**25,08,841.84**	**41,736.47**	**9,10,492.72**	**9,06,521.75**	**3,970.97**	**3,59,035.05**	**3,56,619.65**	**2,415.40**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत आंकड़ों से संकलित)

जैसा कि **तालिका 3.5** से देखा जा सकता है, कंपनी ने पीएमजीकेएवाई के तहत एफसीआई से 41,736.47 मीट्रिक टन चावल और 3,970.97 मीट्रिक टन गेहूं नहीं उठाया। यह भी देखा गया कि आवंटन की अवधि समाप्त हो गया था क्योंकि पीएमजीकेएवाई योजना दिसंबर 2022 के बाद बंद कर दी गई थी। इसी तरह, एमडीएम के तहत 2019-20 के दौरान 2,415.40 मीट्रिक टन चावल कम उठाया गया था। इस प्रकार, पात्र लाभार्थियों और बच्चों को 2019-20 से 2022-23 के दौरान योजनाओं के लाभों से वंचित किया गया ।

पीएमजीकेएवाई और एमडीएम योजनाओं के तहत खाद्यान्न का कम उठाव एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न की अनुपलब्धता और एफसीआई गोदामों से

खाद्यान्न उठाने के लिए कंपनी के परिवहन सेवा प्रदाता द्वारा अपर्याप्त संख्या / विलम्ब से वाहन प्रदान करने के कारण था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि पीएमजीकेएवाई के तहत एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न की कमी के कारण और एफसीआई द्वारा एमडीएम के तहत खाद्यान्न की कम मात्रा जारी करने के कारण आवंटित खाद्यान्न की पूरी मात्रा नहीं उठाई जा सकी।

हालांकि, एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न उठाने के लिए कंपनी के परिवहन सेवा प्रदाता द्वारा वाहनों की अपर्याप्त संख्या या वाहन प्रदान करने में विलम्ब के बारे में जवाब चुप था।

3.1.4.4 ट्रांसपोर्टर को अनुचित लाभ

झा.स. के संकल्प के अनुसार, केएमएस 2018-19 से, मिलरों को धान का परिवहन या तो जिला-वार निविदाओं के माध्यम से कंपनी द्वारा चुने गए ट्रांसपोर्टरों, डीएसडी एजेंटों के ट्रांसपोर्टरों या कंपनी द्वारा नामित ट्रांसपोर्टरों द्वारा किया जाना था। हालांकि, सीएमआर का परिवहन मिलरों या कंपनी के माध्यम से किया जाना था। इस प्रोटोकॉल को केएमएस 2019-20 के बाद से फिर से परिभाषित किया गया था, और धान के परिवहन को मिलरों/पैक्स/लैम्प्स द्वारा नियंत्रित किया जाना था, जिसमें कंपनी या विभाग द्वारा निर्धारित दरें और कंपनी द्वारा निगरानी की जानी थी। यदि ट्रांसपोर्टरों के चयन के लिए निविदाओं में कोई भागीदारी नहीं हो तो अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा तय की गई दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार धान और सीएमआर दोनों का परिवहन मिलरों /पैक्स/लैम्प्स/कंपनी द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, झा.स. द्वारा जारी एसओपी (जनवरी 2021) ने यह भी अनिवार्य किया कि डीएम को क्रमशः मिलरों और एफसीआई से धान और सीएमआर के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ एक समझौता करना था। इसके अलावा, डीएम को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि ट्रांसपोर्टरों ने अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया है और डीएम ने भुगतान के लिए बिलों को अनुमोदित/जमा करते समय वैधानिक कटौती की है और जमा की है। ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 30

(3) के अनुसार, प्रधान नियोक्ता अपने द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों के संबंध में और ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में स्वयं द्वारा देय योगदान दोनों के भुगतान के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार इस मामले में, जेएसएफसीएल प्रमुख नियोक्ता है क्योंकि उसने धान/सीएमआर के परिवहन के लिए मिलरों को नियुक्त किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, चतरा और रांची जिलों में धान की ढुलाई मिलरों द्वारा केएमएस 2018-19 के दौरान की गई थी, जबकि दुमका में, झा.स. के संकल्प का उल्लंघन करते हुए केएमएस 2019-20 के दौरान डीएसडी एजेंटों द्वारा परिवहन किया गया था। इसके अलावा, केएमएस 2019-22 के दौरान, मिलरों ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा तय किए गए एसओआर पर किसी भी कार्य आदेश या किसी भी समझौते के निष्पादन के बिना धान और सीएमआर दोनों को परिवहन किया था, हालांकि एसओपी के तहत आवश्यक था।

केएमएस 2018-19 से 2021-22 के दौरान, डीएम द्वारा छह परीक्षण-जांच वाले जिलों में धान / सीएमआर के ट्रांसपोर्टरों को 40.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएम ने ट्रांसपोर्टरों को यह सुनिश्चित किए बिना भुगतान किया था कि उनके द्वारा लगाये कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया था और क्या ईपीएफ और ईएसआईसी के प्रति नियोक्ता का योगदान जमा किया गया था।

इसके अलावा, एनएफएसए के तहत एफसीआई से खाद्यान्न उठाने के लिए, ट्रांसपोर्टरों का चयन कंपनी द्वारा खुली निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदा शर्तों के अनुसार, ट्रांसपोर्टरों को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना और ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के योगदान को समय पर जमा करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवहन में लगे कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए बिना, या ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के योगदान को जमा किए बिना, कंपनी द्वारा 2019-20 से 2022-23 के दौरान ट्रांसपोर्टरों को ₹ 545.29 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

विभाग ने स्वीकार किया (जुलाई 2024) कि धान की मिलिंग के लिए मिलरों के साथ मौजूदा समझौतों में धान और सीएमआर के लिए परिवहन का प्रावधान भी शामिल था, इसलिए मिलरों के साथ परिवहन के लिए अलग समझौते निष्पादित नहीं किए गए थे। इसके अलावा, परिवहन कर्मचारियों को भुगतान स्वयं मिलरों द्वारा किया गया था। इसलिए, मिलर न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी आदि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं। आगे कहा गया कि मिलरों को प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देशित (जुलाई 2024) किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीएम को एसओपी के अनुसार धान / सीएमआर के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ समझौते निष्पादित करने थे। इसके अलावा, ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 30 (3) के अनुसार, कंपनी प्रमुख नियोक्ता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि ट्रांसपोर्टर/मिलर अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करते हैं और ईपीएफ योगदान, ईएसआई आदि की कटौती और जमा भी करते हैं।

सिफारिश संख्या 5: कंपनी आवंटित खाद्यान्न की पूरी उठाव और एफसीआई को दावों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकती थी।

3.1.5 गोदाम प्रबंधन

खाद्यान्न की क्रय, भंडारण, परिवहन और वितरण के व्यवसाय में लगी कंपनी के लिए गोदाम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। गोदाम उचित भंडार प्रबंधन, लॉजिस्टिक समर्थन, गुणवत्ता नियंत्रण और आपातकालीन तैयारियों के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कंपनी के पास राज्य के नौ नमूना-जांचित जिलों में 222 गोदाम (215 स्वयं और सात किराए पर) थे। हालांकि, 1,02,625 मीट्रिक टन **(तालिका 3.6)** की कुल क्षमता वाले केवल 184 गोदामों का उपयोग किया जा रहा था और 16,350 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 38 गोदाम निष्क्रिय पड़े थे।

कंपनी 107 सहायक गोदाम प्रबंधकों (एजीएम)[36] के माध्यम से इन गोदामों का प्रबंधन कर रही थी।

तालिका 3.6: नमूना-जांचित जिलों में क्रियाशील गोदामों का क्षमता-वार विवरण

क्षमता सीमा (एमटी)	गोदामों की संख्या	क्षमता (एमटी)
500 तक	123	37,575
500 - 1,000	49	49,000
1,000 - 1,500	2	3,000
1,500 - 2,000	0	--
2,000 से ऊपर	3	7,500
कंपनी का स्वामित्व	**177**	**97,075**
किराए पर	7	5,550
कुल	**184**	**1,02,625**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

यह भी देखा गया कि 38 निष्क्रिय गोदामों का उपयोग पहुँच पथ की कमी (6), जल भराव (2), जीर्ण-शीर्ण स्थिति (29) और ईवीएम मशीनों के भंडारण (1) के कारण नहीं किया जा सका। 2018-19 से 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सात गोदामों के लिए किराए के रूप में 99.99 लाख रुपये (जून 2010 और जुलाई 2023 के बीच की अवधि के लिए) का भुगतान किया था।

कंपनी ने अपने गोदामों के कामकाज के लिए कोई एसओपी/मैनुअल भी तैयार नहीं किया था।

3.1.5.1 गोदामों का खराब रखरखाव

नौ नमूना-जांचित जिलों में, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा (2018-23) द्वारा आच्छादित की गई अवधि के दौरान दो मौकों (2022 और 2023) पर डीएम ने कंपनी को उनके तहत गोदामों की स्थिति की सूचना दी थी। जलभराव सहित कई कमियां, पहुँच पथ की कमी आदि, रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान कंपनी के

[36] चतरा: 11, दुमका: 10, पूर्वी सिंहभूम: 11, गढ़वा: 10, हजारीबाग: 10, कोडरमा: 6, पलामू: 15, रांची: 19 और पश्चिमी सिंहभूम: 15

अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए नमूना-जांचित जिलों में 83 गोदामों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से निम्नलिखित कमियां सामने आईं।

गोदाम के बुनियादी ढांचे और रखरखाव की कमी

- **विद्युत कनेक्शनों की कमी**

83 गोदामों में से केवल सात (चतरा: 2, पूर्वी सिंहभूम: 2 और रांची: 3) में बिजली कनेक्शन थे। विद्युत कनेक्शन के अभाव में, वजन करने वाली मशीनों को चार्ज नहीं किया जा सका और गोदामों में रोशनी अपर्याप्त थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि बिजली कनेक्शन के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए सभी डीएम को निर्देश जारी किए गए हैं।

- **धर्मकांटा सुविधा की कमी**

कोई भी गोदाम धर्मकांटा से सुसज्जित नहीं पाया गया था, और आवक और बाहरी स्टॉक को वेटिंग मशीनों (बैटरी संचालित) के साथ मैन्युअल रूप से तौला गया था, जो समय लेने वाला और बोझिल था। हालांकि बहारागोड़ा ब्लॉक के तहत दो नवनिर्मित गोदामों ने धर्मकांटा स्थापित किए थे, ये चालू नहीं थे (अक्टूबर 2023) क्योंकि बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि गोदामों में धर्मकांटा की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

- **पहुँच पथ की कमी**

छह गोदाम (रांची: 3 और पूर्वी सिंहभूम: 3) उपयोग में नहीं थे क्योंकि उनके पास सड़कें नहीं थीं।

चित्र 5.1: डीएम, पूर्वी सिंहभूम के तहत बहरागोड़ा में गोदाम पहूँच पथ की कमी के कारण उपयोग में नहीं (04.10.2023)

लेखापरीक्षा में कई गोदामों की दीवारों और छतों में दरारें और रिसाव भी देखा गया। इसके अलावा, जल भराव और बिना छत वाली गोदाम इमारतों के मामले भी देखा गया ।

चित्र 3.2 और 3.3: गोदाम भवनों की स्थिति

चित्र 3.2 **डीएम, पूर्वी सिंहभूम (15.06.2023) के करंडीह में बिना छत वाला गोदाम**	**चित्र 3.3** **डीएम, पूर्वी सिंहभूम (05.10.2023) के बर्मामाइन में गोदाम में जल भराव**

सुरक्षा और हानि शमन तंत्र की कमी

• किसी भी गोदाम में अग्निशमन उपकरण/सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं किए गए थे। चोरी, बिजली की कमी आग या प्राकृतिक आपदाओं आदि

जैसी आपात स्थितियों को दूर करने के लिए कोई आकस्मिक उपाय नहीं किए गए थे।

•खाद्यान्न के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की निगरानी और ट्रैकिंग आवाजाही जीपीएस प्रणाली के माध्यम से नहीं की गई थी। निगरानी के अभाव में, ट्रांसपोर्टरों की ओर से स्टॉकिंग, चोरी, विलम्ब और कुप्रबंधन के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता था।

• गोदामों में कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किया गया था। यह देखा गया कि पांच एजीएम[37] ने गोदामों से चोरी के मामलों की सूचना कंपनी को दी थी।

• हालांकि एजीएम गोदामों में खाद्यान्न के भंडारण और प्रबंधन और उचित भंडार अभिलेख के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि 83 गोदामों में से 49 में, एजीएम द्वारा कार्यभार सौंपना कभी नहीं हुआ था। एजीएम द्वारा प्रभार सौंपने/लेने की अनुपस्थिति के कारण गोदामों में भंडार के अभिलेख का निरंतर रखरखाव नहीं किया गया और खाद्यान्न की चोरी से इंकार नहीं किया जा सका, जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में चर्चा की गई है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि सभी वाहनों में जीपीएस स्थापित किया गया है और परिवहन के दौरान खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार थे।

विभाग का उत्तर ठोस नहीं है क्योंकि कंपनी के पास इन वाहनों की आवाजाही की निगरानी/ट्रैक करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

गोदामों के प्रबंधन में प्रक्रियात्मक खामियां

कंपनी के पास अपने गोदामों के प्रबंधन और संचालन के लिए मैनुअल या एसओपी नहीं था। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने खाद्यान्न को नुकसान से बचाने के लिए एफसीआई द्वारा उठाए जाने

[37] चतरा, कडरू-I, करनडीह, मांडर और सतगावां

वाले कदमों को प्रसारित किया था (फरवरी 2018)। परिपत्र के अनुसार, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (एफआईएफओ) सिद्धांत का पालन किया जाना था, जिसके तहत पहले खरीदे गए खाद्यान्न को पहले वितरित किया जाना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुराने स्टॉक का परिसमापन वर्षों में और यहां तक कि एक विशेष वर्ष के भीतर किया जा सके।

गोदामों के जेपीवी के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच गोदामों[38] में एफआईएफओ और एफसीआई से आगत खाद्यान्न का भार सुनिश्चित किए बिना खाद्यान्न को आगत ट्रकों से सीधे निर्गत ट्रकों में स्थानांतरित किया जा रहा था।

एक गोदाम (पलामू के तहत बैरिया) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि चावल के बैग एफसीआई से प्राप्त किए गए थे (जुलाई 2023) और बिना वजन के संगृहित किए गए थे और कुछ बैग क्षतिग्रस्त और खुले थे (21 जुलाई 2023)। गोदाम में संगृहित दो बैगों में चावल खराब पाया गया और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं था।

डीएम पलामू के तहत बैरिया गोदाम में एफसीआई ट्रकों से उतारे गए 50 किलोग्राम क्षमता के बीस चावल बैगों की आकस्मिक रूप से जांच की गई और कंपनी के कर्मचारियों की उपस्थिति में तौला गया (21 जुलाई 2023)। यह पाया गया कि ये सभी बैग 27 किलोग्राम और 49.350 किलोग्राम के बीच वजन के साथ कम थे।

चित्र 3.4 और 3.5: क्षेत्र दौरों के दौरान पाए गए 50 किलोग्राम के सीलबंद बैग में चावल की मात्रा में कमी (21.07.2023)

[38] पलामू के अंतर्गत चैनपुर और लेस्लीगंज गोदाम, चतरा के अंतर्गत टंडवा गोदाम और हज़ारीबाग के अंतर्गत बरही और इचाक गोदाम

<table>
<tr><th>चित्र 3.4</th><th>चित्र 3.5</th></tr>
<tr><td>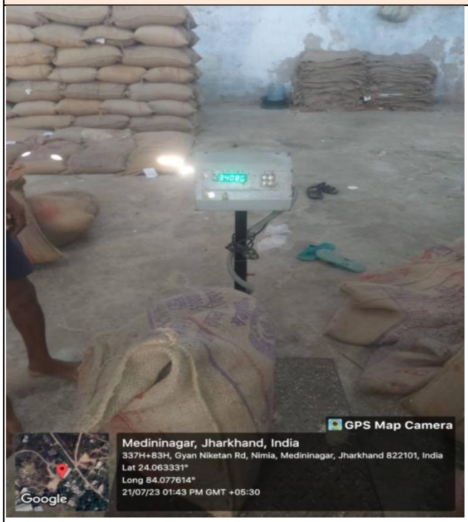
</td><td>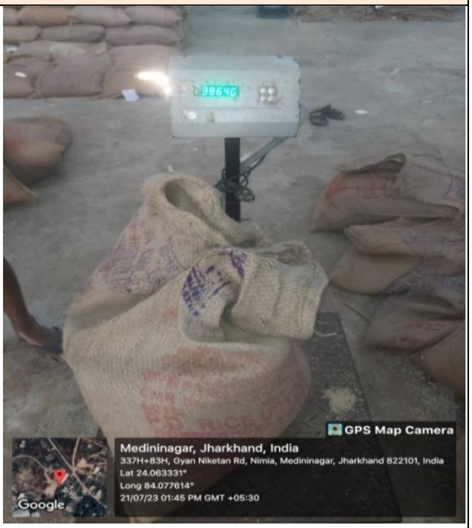
</td></tr>
</table>

डीएम पलामू के तहत चैनपुर गोदाम और डीएम पूर्वी सिंहभूम के तहत बहारागोड़ा गोदाम में सीमेंट और धूल के दो बैग पाए गए। चैनपुर गोदाम में पांच बैग में गेहूं और चावल मिले हुए पाए गए। पलामू के चियांकी स्थित गोदाम में खुले में नमक के पैकेट भी पड़े पाए गए।

चित्र 3.6 से 3.9: क्षेत्र दौरों (19.07.2023) के दौरान वस्तुओं के भंडारण में देखी गई कमियां

<table>
<tr><th>चित्र 3.6
आगत वाहन से बैग सीधे डीएसडी वाहन (चैननपुर) पर लोड किए जा रहे हैं</th><th>चित्र 3.7
चावल और गेहूं मिश्रित थैलियाँ (चैनपुर)</th></tr>
<tr><td> </td><td>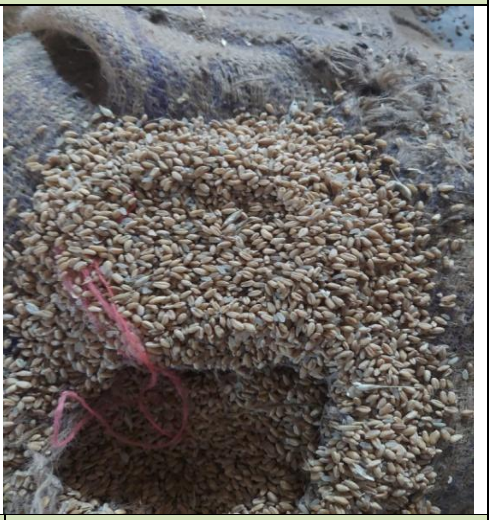</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

चित्र 3.8 चावल की थैलियों में मिश्रित सीमेंट के टुकड़े (चैनपुर)	चित्र 3.9 खुले में पड़े नमक के पैकेट (चैनपुर)

यह देखा गया कि भारत सरकार ने मासिक आधार पर आवधिक निरीक्षण और औचक निरीक्षण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की थी और राज्य सरकार को एसओपी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना था। हालांकि, 83 भौतिक रूप से सत्यापित गोदामों में से 54 में, स्टॉक सत्यापन कभी नहीं किया गया था जैसा कि संबंधित एजीएम द्वारा कहा गया है। शेष गोदामों के एजीएम ने कहा कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन कभी-कभी किया गया था। यह भी देखा गया कि दुमका जिले के तहत दो गोदामों (दुमका और सरैयाहाट) को छोड़कर, बाकी का प्रबंधन ग्रामीण विकास विभाग, झा.स. के कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त प्रभार पर किया जा रहा था, जिनके पास गोदाम प्रबंधन में विशेषज्ञता की कमी थी, जिससे कारण रखरखाव कमियां थीं।

पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा और चतरा जिलों में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गए खाद्यान्न के खराब होने और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होने के उदाहरणों का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

इस प्रकार, कंपनी ने स्टॉक के लिए भा.स. (जुलाई 2021) के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आवधिक और औचक निरीक्षण के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। इसके अलावा कई गोदामों में एजीएम द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत दस्तावेज अधूरे थे, क्योंकि कोई कार्यभार का समर्पण/ ग्रहण नहीं किया गया था। गोदामों की दोषपूर्ण

निगरानी और खराब प्रबंधन के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की खराबी, कीटों द्वारा संक्रमण, भंडार का गैर-समाधान और भौतिक भंडार सत्यापन का न होना था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि एफसीआई गोदामों में वजन के बाद खाद्यान्न प्राप्त हुआ था और यदि किसी डिपो से प्राप्त खाद्यान्न वजन में कम पाया गया था तदनुसार एफसीआई को सूचित किया गया था। इसके अलावा, जिलों को खराबी के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है और प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि कंपनी ने डीएम, पलामू के तहत बैरिया में गोदाम में भौतिक सत्यापन (जुलाई 2023) के दौरान एफसीआई से प्राप्त खाद्यान्न की कमी के मुद्दे को नहीं उठाया था। इसके अलावा, गोदामों में रखे गए अभिलेखों से यह देखा गया कि जुलाई 2023 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमी के बावजूद पलामू में चावल की आवंटित और उठाई गई मात्रा समान थी। विभाग का उत्तर जेएसएफसीएल गोदामों में प्राप्त सीलबंद बैगों में खाद्यान्न की कमी, एजीएम के प्रभार सौंपने/लेने की कमी, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की कमी, खाद्यान्न की चोरी आदि के बारे में भी मौन है।

अनुशंसा संख्या 6: कंपनी पर्याप्त भंडारण की बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित कर सकती है। यह गोदाम मे संगृहित खाद्यान्न के खराब होने के जोखिम को कम करने के लिए आवधिक निरीक्षण के साथ गोदाम के असरदार प्रबंधन और संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को विकसित और अमल कर सकती थी।

3.1.6 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन प्रत्येक सफल संगठन की आधारशिला है, जो प्रभावी निर्णय लेने, संसाधन आवंटन और जोखिम प्रबंधन के लिए रुपरेखा प्रदान करता है। वित्तीय संसाधनों को प्रभावी बनाकर, संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं, स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं, और हितधारकों के लिए मूल्य बढ़ा सकते हैं।

3.1.6.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के तहत आवश्यक है, कंपनी को अपने निगमन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल (बीओडी) की पहली बैठक आयोजित करनी थी, और उसके बाद हर साल न्यूनतम चार बीओडी बैठकें आयोजित करनी थीं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों[39] के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को वार्षिक रूप से बही-खातों और वित्तीय विवरण तैयार करनी थीं और वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा[40] नि.म.ले.प. द्वारा की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने 2019-20 और 2022-23 के बीच, इस अवधि के लिए आवश्यक 16 बैठकों के मुकाबले केवल छह बीओडी बैठकें आयोजित की थीं।

इसके अलावा, क्षेत्र इकाइयों में रोकड़ बही ठीक से नहीं रखी गई थी वे पूरी अवधि के लिए नहीं लिखी गई थीं, मासिक रूप से बंद नहीं की गई थीं, अंतिम शेष का कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया था, लेन-देन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि रोकड़-बही को कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित उपार्जन आधार के बजाय प्राप्ति आधार पर बनाए गया था, और प्रविष्टियों को बैंक विवरणों से कॉपी किया गया था। जांच किए गए किसी भी जिले में बैंक समाधान विवरण (बीआरएस) तैयार नहीं किए गए थे।

लेखांकन अभिलेख के उचित रखरखाव का अभाव कंपनी के लिए खाते तैयार न करने का मुख्य कारण था और इसके हितों की रक्षा के लिए कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की कमी भी दिखाई दी।

नि.म.ले.प. द्वारा पूरक-लेखापरीक्षा भी नहीं की जा सकी क्योंकि कंपनी ने स्थापना (जून 2010) से अपने खातों को अंतिम रूप (मार्च 2024) नहीं दिया है। लेखापरीक्षित खातों के अभाव में, धान की खरीद से संबंधित ₹

---

[39] कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 (1)

[40] कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619, और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ए)

692.73 करोड़ के आकस्मिक व्यय की तुलना में कंपनी ने केएमएस 2011-12 से 2021-22 के दौरान एफसीआई से आकस्मिक शुल्क के रूप में केवल ₹ 93.51 करोड़ का दावा कर सका, जैसा कि **कंडिका 3.1.3.6** में चर्चा की गई है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि कोविड-19 के कारण बीओडी बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। हालांकि, यह आश्वासन दिया गया कि एक वर्ष में कम से कम चार बीओडी बैठकें आयोजित की जाएंगी। यह भी कहा गया कि मानव बल की कमी के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई और अभिलेखों को उचित तरीके से बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे, विभाग ने आश्वासन दिया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के बाद के खातों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.1.6.2 कंपनी निबंधक को वार्षिक रिटर्न दाखिल न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि से साठ दिनों के भीतर चार[41] ई-फॉर्म्स में या जहां किसी भी वर्ष कोई एजीएम आयोजित नहीं किया गया हो, जिस तारीख को एजीएम आयोजित किया जाना चाहिए था, उससे साठ दिनों के भीतर, एजीएम आयोजित नहीं करने के कारण को निर्दिष्ट करने वाले विवरण के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। जो कंपनियां अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहती हैं, तो कंपनी के दोषी अधिकारी सहित, प्रत्येक को ₹ 50,000 के दंड और निरंतर विफलता पर ₹ 100 प्रति दिन के अतिरिक्त दंड के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कंपनी के लिए अधिकतम ₹ पांच लाख और अधिकारियों के लिए ₹ 50,000 है।

चूंकि कंपनी ने शुरुआत से ही वार्षिक खाते तैयार नहीं किए थे, इसलिए वह पंजीकरण और केवल कंपनी के अन्य विवरण ही वार्षिक रिटर्न फॉर्म एमजीटी-7 में में दाखिल कर सकी। इस प्रकार, अधिनियम के तहत

[41] (i) फॉर्म 23 एसी-एक्सबीआरएल और (ii) बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण के लिए फॉर्म 23 एसीए-एक्सबीआरएल, (iii) कंपनी के पंजीकरण और अन्य विवरणों के संबंध में वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म एमजीटी 7 और (iv) वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजों के लिए फॉर्म एओसी - एक्सबीआरएल

आवश्यक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफलता, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दंड को आकर्षित कर सकती है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (जुलाई 2024) किया।

3.1.6.3 कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विविध संस्करण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को बही-खातों और अन्य प्रासंगिक कागजात तैयार करने और कंपनी के मामलों के "सही और निष्पक्ष" दृष्टिकोण को दर्शाते हुए रखने चाहिए।

कंपनी को भारत सरकार/झारखण्ड सरकार की नीतियों के अनुसार खाद्यान्न और अन्य आवश्यक उत्पादों के सार्वजनिक वितरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था (जून 2010)। कंपनी के निगमन (जून 2010) के बाद, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी की संपत्ति और देनदारियों की प्रारंभिक शेष राशि झारखंड में स्थित पूर्ववर्ती बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (बीएसएफसी) की 10 इकाइयों[42] की संपत्ति और देनदारियों के 31 जनवरी 2011 को इन इकाइयों के खातों के अनुसार समापन शेष से प्राप्त की गई थी। इसके बाद, इन इकाइयों की गतिविधियों और लेखाओं का प्रबंधन जेएसएफसीएल द्वारा किया जा रहा था।

कंपनी के वित्तीय अभिलेखों की जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी की संपत्ति और देनदारियों की प्रारंभिक शेष राशि को बीएसएफसी द्वारा बिना किसी ब्रेकअप और आवश्यक विवरण (टैली डेटा, बैंक समाधान विवरण और परीक्षण शेष) के बिना बीएसएफसी के एमडी और बीओडी द्वारा प्रमाणित किए बिना जेएसएफसीएल को भेज दिया गया था। इसके अलावा, पूरक लेखापरीक्षा के लिए नि.म.ले.प. को प्रस्तुत 2010-11 के लिए बीएसएफसी के वित्तीय विवरणों में झारखंड में स्थित इन 10 इकाइयों को भी शामिल किया गया था।

[42] पूर्ववर्ती बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (बीएसएफसी) के 10 जिले, अर्थात्, (i) चाईबासा (ii) धनबाद (iii) दुमका (iv) गिरिडीह (v) गुमला (vi) हज़ारीबाग (vii) जमशेदपुर (viii) पलामू (ix) रांची और (x) साहिबगंज

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कंपनी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और ऋण जुटाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतरिम खाते और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए दो अलग-अलग सीए फर्मों को नियुक्त किया था। दोनों फर्मों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की जांच से पता चला कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए, दो अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किए थे जिसने कंपनी के अलग अवस्थाओं को दिखाया। ऋण जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया को प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में ₹ 96 करोड़ का लाभ दिखाया, जबकि आयकर विभाग को प्रस्तुत वित्तीय विवरण में ₹ 152 करोड़ का नुकसान दिखाया। इस प्रकार, कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि उसने सीए फर्मों से स्पष्टीकरण मांगा था, जिन्होंने जवाब में, कहा कि आधार की पुष्टि करने के लिए उपयुक्त अभिलेख/साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण, फर्मों को उपलब्ध कराई गई जानकारी/ अभिलेख से 2018-19 की अवधि के खाते तैयार किए गए थे और अस्वीकरण के साथ प्रस्तुत किए गए थे। विभाग ने आगे कहा कि अंतर मुख्य रूप से लेजर के विभिन्न समूहन, पूर्व अवधि के प्राप्तियों पर विचार न करने और कर उद्देश्य के लिए उपार्जन आधार पर विचार की गई आय के कारण थे।

विभाग का उत्तर ठोस नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण उसी अवधि से संबंधित थे जिसके लिए बुनियादी अभिलेख/स्रोत समान होंगे। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि दो अलग-अलग सीए फर्मों द्वारा एक ही वित्तीय वर्ष के लिए दो वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक क्यों था।

3.1.6.4 निधि प्रबंधन

कंपनी पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से किसानों से धान की खरीद के लिए नोडल एजेंसी थी और किसानों को एमएसपी के भुगतान के लिए जिम्मेदार थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि झा.स. ने धान की खरीद के लिए किसानों को एमएसपी के भुगतान के लिए रीवोल्विंग फण्ड के रूप में कंपनी को ₹

518.96 करोड़[43] प्रदान किए थे, यह राशि कंपनी द्वारा एमएसपी के भुगतान, गनी बैग की लागत, मिलर्स को भुगतान, परिवहन की लागत आदि पर खर्च की गई थी। हालांकि, जुलाई 2024 तक कंपनी को पैक्स/लैम्प्स, मिलर्स और एफसीआई से प्राप्य ₹ 300 करोड़ प्राप्त नहीं हुए थे।

आगे यह भी देखा गया कि झा.स. ने 2018-19 के बाद रीवोल्विंग फण्ड प्रदान नहीं किये थे और कंपनी ने केएमएस 2020-21 के दौरान किसानों को एमएसपी के भुगतान पर अपनी निधियों में से ₹ 859 करोड़ रुपये खर्च किए थे। केएमएस 2021-22 के दौरान, कंपनी ने रीवोल्विंग फण्ड की अनुपलब्धता के कारण किसानों को एमएसपी के भुगतान के लिए ₹ 775.64 करोड़ का बैंक ऋण भी लिया था, जिसके लिए ₹ 38.21 करोड़ का भुगतान ब्याज के रूप में किया गया था।

इसके अलावा, एनएफएसए योजना के तहत एफसीआई गोदामों से कंपनी गोदामों तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए डीएसओ के माध्यम से झा.स. द्वारा ₹ 75 प्रति क्विंटल की दर से परिचालन अनुदान भी प्रदान किया जाना था। कंपनी को तदनुसार वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए झा.स. से ₹ 834.34 करोड़ का परिचालन अनुदान प्राप्त करना था। हालांकि, इसमें से ₹13.50 करोड़ अभी तक (अप्रैल 2024 तक) झा.स. से प्राप्त नहीं हुए थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि बैंक से ऋण लिया गया था, क्योंकि रीवोल्विंग फण्ड 2018-19 के बाद झा.स. द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

3.1.6.5 परिहार्य ब्याज का भुगतान

धान खरीद, मिलिंग और परिवहन आदि पर व्यय को पूरा करने के लिए, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने का निर्णय लिया। केएमएस 2020-21 के लिए धान खरीद योजना के लिए ₹1,650 करोड़ की ओवरड्राफ्ट/कैश

[43] केएमएस 2011-12: ₹ 243.96 करोड़, केएमएस 2012-13: ₹ 75 करोड़ और केएमएस 2018-19: ₹ 200 करोड़

क्रेडिट (ओडी/सीसी) सीमा के लिए वाणिज्यिक बैंकों से खुली निविदा के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी (सितंबर 2021)। 10 बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों को बाद में खोला (अक्टूबर 2021) गया जिसमें इंडियन बैंक 4.5 प्रतिशत (छह महीने) और 5 प्रतिशत (वार्षिक) की ब्याज दरों के साथ एल1 पर था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने सीवीसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए जिसमें कहा गया था कि एल1 बोलीदाता को छोड़कर, निविदा के बाद बातचीत की अनुमति नहीं है, एल1 से एल5 बोलीदाताओं के साथ बातचीत की थी। बातचीत (अक्टूबर 2021) के दौरान, बैंक ऑफ इंडिया (एल4 बोलीदाता) ने कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) के लिए 4.7 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश की, जो

ईओआई का हिस्सा नहीं था और सीवीसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन भी था जो यह निर्धारित करता है कि स्वीकृति की शर्तों को प्रस्ताव की शर्तों से मेल खाना चाहिए। कंपनी ने एमडी के निर्देश पर, बिना रिटेंडरिंग के एल1 से एल7 बोलीदाताओं से ओडी/सीसी (मूल ईओआई के अनुसार) के बजाय डब्ल्यूसीडीएल के लिए अपनी दरें पेश करने का अनुरोध करने के लिए निर्णय लिया (अक्टूबर 2021)।

अंतिम प्रस्ताव में, बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक दोनों डब्ल्यूडीसीएल के लिए 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित दर पर एल1 थे। दोनों बैंकों को स्वीकृति पत्र (नवंबर 2021) जारी किए गए थे और कंपनी द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के साथ डब्ल्यूडीसीएल (₹ 776 करोड़) के लिए एक समझौता (नवंबर 2021) निष्पादित किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि एसबीआई ने कंपनी के नि.म.ले.प. लेखापरीक्षित खातों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया(दिसंबर 2021)। इसके बाद, डब्ल्यूडीसीएल (₹ 776 करोड़) के लिए एक और समझौता (दिसंबर 2022) बैंक ऑफ इंडिया के साथ निष्पादित किया गया । लेखापरीक्षा ने पाया कि समझौतों के निष्पादन के समय ब्याज की दर को स्थिर से फ्लोटिंग में बदल दिया गया था, अभिलेखों पर कारण उपलब्ध नहीं थे।

जुलाई 2023 तक, बैंक ऑफ इंडिया ने 4.50 से 5.40 प्रतिशत की फ्लोटिंग ब्याज दर पर डब्ल्यूसीडीएल के रूप में ₹ 1,076 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा गणना के अनुसार, ₹ 32.98 करोड़ के ब्याज का भुगतान (21 जुलाई 2023 तक) निश्चित ब्याज दर पर किया जाना आवश्यक था। हालांकि, कंपनी ने फ्लोटिंग रेट पर ब्याज के रूप में ₹ 40.68 करोड़ का भुगतान किया था। इस प्रकार, कंपनी को ₹ 7.70 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2024) कि सभी बैंकों ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज की फ्लोटिंग दर पर डब्ल्यूसीडीएल ऋण की पेशकश की।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया को जारी स्वीकृति पत्र (नवंबर 2021) में निश्चित ब्याज दर (4.5 प्रतिशत) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में आरबीआई मास्टर सर्कुलर[44] के अनुसार, बेस रेट सिस्टम की शुरुआत के बाद भी, बैंकों को निश्चित या फ्लोटिंग दरों पर सभी श्रेणियों के ऋण देने की स्वतंत्रता थी।

3.1.6.6 खातों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हानि

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को धान और खाद्यान्न की खरीद के दौरान किए गए अंतिम आकस्मिक शुल्कों के अपने दावे लेखापरीक्षित खातों और सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ मौसम की समाप्ति के बाद जल्द से जल्द और किसी भी मामले में उस वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के बाद नहीं, जिसमें मौसम समाप्त हुआ, प्रत्येक आइटम के लिए विस्तृत कारण प्रस्तुत करने का निर्देश (नवंबर 2018) दिया । इसके अलावा, उन राज्यों के लिए जिन्होंने केएमएस के शुरू होने के चार साल के भीतर अपने अंतिम दावे प्रस्तुत नहीं किए थे, केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य, वैधानिक करों और गनी बैग की लागत की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी। फिर अप्रैल 2021 से

[44] आरबीआई/2010-11/72 डीबीओडी संख्या डीआईआर.बीसी.9/13.03.00/2010-11 दिनांक 1 जुलाई 2010

प्रभावी, आकस्मिक खरीद के सिद्धांतों (पीपीआई) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी द्वारा लेखापरीक्षित/अंतिम खाते प्रस्तुत नहीं किए गए हो तो भा. स. को पांच साल से अधिक सीज़न पर सब्सिडी के पांच प्रतिशत की काल्पनिक कटौती साथ ही प्रति वर्ष दो प्रतिशत कटौती लगानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आकस्मिक शुल्क के रूप में एफसीआई से कंपनी की अंतिम कुल प्राप्तियां केएमएस 2011-12 से 2021-22 के दौरान ₹ 654.51 करोड़ थीं। चूंकि कंपनी ने शुरुआत से (मार्च 2024 तक) अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था, भारत सरकार के निर्णय (जुलाई 2022) के अनुसार 2011-12 से 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 29.98 करोड़ (मार्च 2024 तक) की काल्पनिक कटौती लगाई जाएगी क्योंकि पांच साल पहले ही बीत चुके हैं, जबकि 2017-18 तक कुल प्राप्य ₹ 176.36 करोड़ थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के खातों को संशोधित किया जा रहा था और बीएसएफसी से शेष प्राप्ति के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.1.6.7 बकाया राशि की वसूली न करना

विभाग के संकल्प (फरवरी 2016) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ), जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) और जिला समाज कल्याण अधिकारियों (डीएसडब्ल्यूओ) से खाद्यान्न के परिवहन के लिए डीएम के माध्यम से क्रमशः एनएफएसए, एमडीएम[45] और गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी)[46] के लिए मासिक परिचालन अनुदान (₹75 क्विंटल की दर से) का दावा करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गिरिडीह, लातेहार और रांची के डीएम ने एनएफएसए के तहत अक्टूबर 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए खाद्यान्न के परिवहन के लिए परिचालन अनुदान के रूप में ₹ 24.94

[45] तिमाही आधार पर

[46] तिमाही आधार पर

करोड़[47] का दावा दो से 62 महीने के विलंब से किया गया था। हालांकि, संबंधित जिलों के डीएसओ द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति (जून 2024) नहीं की गई थी।

इसी तरह, कंपनी को एमडीएम योजना (2020-21) और डब्ल्यूबीएनपी (2020-23) के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए संबंधित डीएम द्वारा किए गए दावों के खिलाफ क्रमशः जिला शिक्षा अधीक्षकों (डीएसई) और जिला समाज कल्याण अधिकारियों (डीएसडब्ल्यूओ) से ₹ 79.83 लाख और ₹ 2.06 करोड़ के परिचालन अनुदान की प्रतिपूर्ति नहीं मिल सकी (नवंबर 2023)।

इस प्रकार, डीएसओ, डीएसई और डीडब्ल्यूएसओ के विरुद्ध 13 से 74 महीनों (जुलाई 2024 तक) से अधिक के लिए ₹ 27.80 करोड़ का परिचालन अनुदान बकाया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि दावों की वसूली संबंधित विभागों के साथ की जा रही है।

3.1.6.8 जिला सहकारी अधिकारी से अल्प वसूली

झा.स. ने निर्देश दिया (जून 2014) कि धान के बीजों की खरीद के लिए धन की व्यवस्था कंपनी को प्रदान की गई रीवोल्विंग फण्ड से की जानी थी। तदनुसार, कंपनी ने अपनी रीवोल्विंग फण्ड से ऋण के रूप में कृषि, पशुपालन और सहकारी विभाग के तहत 24 ज़िलों के सहकारी अधिकारियों (डीसीओ) को ₹ 20.50 करोड़ रुपये प्रदान (जून 2014) किए और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूलने का निर्णय (जुलाई 2014) लिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने डीसीओ से अगस्त 2022 तक ब्याज के साथ मूल राशि वापस करने का अनुरोध (अगस्त 2022) किया था। सितंबर 2023 तक ₹ 35.22 करोड़ (₹ 14.72 करोड़ के अर्जित ब्याज सहित) की बकाया राशि के मुकाबले, डीसीओ ने केवल ₹ 13.37 करोड़ की मूल राशि

[47] गिरिडीह: ₹ 0.08 करोड़ (मार्च 2022); लातेहार: ₹ 0.94 करोड़ (मई 2021); रांची: ₹ 23.92 करोड़ (अक्टूबर 2017 से मार्च 2020)

चुकाई थी। इस प्रकार, कंपनी डीसीओ से अर्जित ब्याज सहित बकाया ऋण ₹ 21.85 करोड़ की वसूली (सितंबर 2023) करने में विफल रही।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2024) और कहा कि शेष राशि की वसूली की जाएगी।

अनुशंसा संख्या 7: कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठा सकती है कि उसके खातों को आरम्भ से अंतिम रूप दिया जाए और लेखापरीक्षा करवाया जाए ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके और धान की खरीद के लिए आकस्मिक शुल्क का दावा किया जा सके।

3.1.7 दोषयुक्त मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) किसी भी संगठन की सफलता और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी भर्ती कार्यनीति न केवल कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, बल्कि एक विविध और गतिशील कार्यबल के निर्माण में भी योगदान देती हैं व नवाचार और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देती हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने मुख्यालय और क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर संविदात्मक आधार पर कर्मियों की तैनाती के लिए स्वीकृत 399 पदों (जून 2013) के अलावा 431 नियमित कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी थी। हालांकि, 431 नियमित स्वीकृत पदों के खिलाफ, केवल 31 कर्मचारी (नियमित: 01; प्रतिनियुक्ति पर: 24; और अनुबंध पर: 06) और 399 संविदात्मक पदों के खिलाफ, 35 कर्मचारी (नियमित: 20 और अनुबंध पर: 15) कंपनी में मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों में तैनात किए गए थे। शेष 764 स्वीकृत पद (नियमित: 400 और संविदात्मक: 364) रिक्त थे। इसके अलावा, 333 व्यक्ति (कंप्यूटर ऑपरेटर: 297; सहायक लेखापाल: 33; चपरासी: 02; और ड्राइवर: 01) कंपनी के बीओडी के अनुमोदन के बिना एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगे हुए थे। वहां तैनात कार्मिकों की तुलना में स्वीकृत पदों का विवरण **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: कंपनी में श्रमशक्ति

स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत मानव बल		संविदात्मक कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत बल		आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भरे गए पद	
स्वीकृत पद	कार्यरत मानव बल	स्वीकृत पद	कार्यरत मानव बल	स्वीकृत पद	कार्यरत मानव बल
431	31	399	35	0	333

(स्रोत: कंपनी द्‌वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

इसके अलावा, डीएसओ को सभी जिलों में डीएम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और झा.स. के ग्रामीण विकास विभाग के ब्लॉक स्तर के कर्मचारी गोदामों के प्रबंधन के लिए एजीएम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

इस प्रकार, मानव बल की तीव्र कमी के कारण कंपनी का खराब प्रदर्शन हुआ, जिससे समग्र संगठनात्मक प्रभावशीलता प्रभावित हुई। नियमित मानव बल के अभाव में, कंपनी अपने वित्तीय खातों को तैयार करने के लिए बुनियादी अभिलेख बनाए रखने में विफल रही, आकस्मिक शुल्क के लिए एफसीआई को दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब/नहीं की, कंपनी निबंधक को रिटर्न और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में विफल रही, किसानों को एमएसपी के भुगतान में विलम्ब की आदि।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2024) कि कंपनी ने आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटरों/डेटा एंट्री ऑपरेटरों को तैनात किया था। इसके अलावा, बीओडी ने 30 स्वीकृत नियमित पदों के लिए लेखाकार-सह-कंप्यूटर ऑपरेटरों के 300 पदों को मंजूरी (दिसंबर 2019) दी थी।

विभाग का उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों को कंपनी के बीओडी की मंजूरी के बिना एक एजेंसी के माध्यम से लगाये गए थे। इसके अलावा, बीओडी द्‌वारा स्वीकृत (दिसंबर 2019) पद नहीं भरे (जुलाई 2024) गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के दैन्यदिन कार्य को प्रभावित करने वाले मानव बल की तीव्र कमी हुई है।

उर्जा विभाग

3.2 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)

3.2.1 परिहार्य व्यय और आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा निविदा आमंत्रित करने वाली शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधानों और नियमों और शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ और चार आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 1.79 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।.

निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस (एनआईटी) के खंड *32* के अनुसार, निविदाकर्ता को एक आदेश दिए जाने की स्थिति में, निविदाकर्ता से अपनी सहमति देने का अनुरोध किया जा सकता है कि वह समान नियमों और शर्तों पर अतिरिक्त आदेश स्वीकार करने के लिए तैयार है, यदि दोहराने/विस्तार आदेश स्वीकृति/आदेश देने की तारीख से *12* महीने के भीतर रखा जाता है। बिडर को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक था कि वह उसी दर, नियमों और शर्तों पर, यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करेगा। इसके अलावा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के शक्ति प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार, प्राधिकरण, जिसने मूल निविदा स्वीकार कर ली है, स्वीकृत निविदा पर, प्रत्येक मामले में *50* प्रतिशत तक पुनरावृत्ति/विस्तार आदेश दे सकता है।

जेबीवीएनएल द्वारा चार मदों की खरीद के लिए चार एनआईटी (अक्टूबर *2020)* जारी किए गए थे। एनआईटी के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते समय, बोली लगाने वालों ने अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने का वचन दिया था, यदि आवश्यक हो, तो समान दर, नियम और शर्तों पर, यदि विस्तार आदेश स्वीकृति/आदेश की नियुक्ति की तारीख से *12* महीने के भीतर रखा जाता है। निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद, *L1* बोलीदाताओं के साथ-साथ अन्य बोली लगाने वालों, जिन्होंने *L1* दरों को स्वीकार किया था, को बजटीय प्रावधानों की सीमा के भीतर मात्रा के लिए क्रय आदेश (*POs*) जारी किए गए (फरवरी *2021* और सितंबर *2021* के बीच)। आपूर्तिकर्ताओं को जारी किए गए क्रय आदेश का विवरण परिशिष्ट *3.2* में दिखाया गया है।

फरवरी *2023* में जेबीवीएनएल के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं को अतिरिक्त मात्रा में मौजूदा अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार समान दर पर आपूर्ति करने के लिए मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं को पुनरावृत्ति/विस्तार आदेश जारी किए बिना उन्ही चार वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कंपनी द्वारा चार नए एनआईटी (अक्टूबर *2021* और मार्च *2022* के बीच) जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी *2023*) कि नई बोली के दौरान, जेबीवीएनएल ने फरवरी और जून *2022* में पहले से स्वीकृत एल *1* दरों से अधिक दरों को स्वीकार किया और उसी अनुसार क्रय आदेश आपूर्तिकर्ताओं को फरवरी और जून *2022* में जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप *₹ 5.93* करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (जैसा कि **परिशिष्ट *3.2*** में वर्णित है)।

आगे की जांच से पता चला कि चार आपूर्तिकर्ताओं को नए क्रय आदेश भी जारी किए गए थे, जिन्होंने पहले ही कम दरों पर अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने के लिए शपथ-पत्र जमा कर दिए थे, जिससे उन्हें *₹ 1.79* करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

इस प्रकार, शक्ति प्रत्यायोजन के प्रावधानों और एनआईटी के नियमों और शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप *₹ 5.93* करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, चार आपूर्तिकर्ता जो पहले कम दर पर वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुए थे, उन्हें *₹ 1.79* करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

मामले की सूचना अप्रैल *2023* में विभाग को दी गई जिसका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी *2025*) था।

3.2.2 निष्क्रिय व्यय

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटीआर) मीटरों और मॉडमों में संचार उपकरण (सिम) की गैर-स्थापना ने न केवल चार शहरों में वितरण ट्रांसफार्मर मीटर की स्थापना के उद्देश्य को विफल किया, बल्कि जुलाई 2020 से इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.31 करोड़ का निष्क्रिय व्यय भी हुआ।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) योजना सितंबर 2008 में शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए टी सी) नुकसान को कम करना और ऊर्जा लेखांकन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी

को अपनाकर सटीक आधारभूत आंकड़ों के संग्रह के लिए विश्वसनीय स्वचालित प्रणाली स्थापित करना था। योजना के अनुमोदित डीपीआर (भाग-बी) में जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) आधारित अनुकूली बहु-दर (एएमआर) संगत मीटर और ऊर्जा डेटा के संचार के लिए मॉडम के साथ वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) मीटरिंग क्यूबिकल भी शामिल था। वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) में जीपीआरएस आधारित एएमआर संगत मीटर और मॉडम स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य डीटीआर-वार नुकसान (डीटीआर में ऊर्जा इनपुट और संबंधित डीटीआर से जुड़े उपभोक्ताओं को बिल किए गए ऊर्जा बिल के बीच अंतर) की गणना करना था। इसके अलावा, मॉडेम में स्थापना के लिए आवश्यक संचार उपकरण, अर्थात डीटीआर से ऊर्जा खपत डेटा के संचार के लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल (एस आई एम), जेबीवीएनएल द्वारा प्रदान किया जाना था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि योजना (भाग-बी) के तहत आच्छादित किए गए 30 शहरों में से, उपकरणों के डिजाइन और आपूर्ति के लिए कार्यों को आठ शहरों में टर्नकी आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया गया था, जबकि शेष 22 शहरों में, जेबीवीएनएल ने विभागीय रूप से कार्यों को निष्पादित किया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन आठ शहरों में से चार में जीपीआरएस आधारित एएमआर संगत मीटर और ऊर्जा डेटा के संचार के लिए मॉडम डीटीआर में स्थापित किए जाने थे। शेष चार शहरों में एएमआर संगत मीटर और मॉडम के प्रावधान की मदों को टर्नकी अनुबंध के कार्य के दायरे से बाहर रखा गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि इन चार शहरों में डीटीआर में 4.31 करोड़ रुपये की लागत से 2,491 जीपीआरएस आधारित एएमआर संगत मीटर और मॉडेम स्थापित किए गए। हालांकि, जेबीवीएनएल ने (मार्च 2018 और जुलाई 2020 के मध्य) काम पूरा होने के बाद तीन से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद भी इन मॉडमों में स्थापना के लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल (एस आई एम), प्रदान नहीं किया था। स्थापित डीटीआर मीटर और मॉडेम में संचार उपकरणों, अर्थात ग्राहक पहचान मॉड्यूल (एस आई एम), के अभाव में डीटीआर से ऊर्जा खपत डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका जिससे डीटीआर मीटर और मॉडेम की स्थापना का उद्देश्य विफल हुआ।

इस प्रकार, जुलाई 2020 से इन चार शहरों में डीटीआर मीटरों और मॉडमों की स्थापना पर ₹ 4.31 करोड़ का व्यय निष्क्रिय रहा है।

मामले की सूचना (नवंबर 2023) विभाग को दी गई जिसका उत्तर (फरवरी 2025) प्रतीक्षित था।

झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल)

3.2.3 परिहार्य उत्पादन हानि

प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, ने एकल निविदा आधार पर मरम्मत कार्य प्रदान करने के लिए शक्ति प्रत्यायोजन (डीओपी) में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, जिससे पावरहाउस उपकरणों की मरम्मत के लिए कार्य आदेश को अंतिम रूप देने में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी, रांची में ₹ 8.46 करोड़ मूल्य की 85 मिलियन इकाई (एमयू) बिजली की परिहार्य उत्पादन हानि हुई।.

झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) के पास रांची जिले के सिकिदिरी में 130 मेगावाट (दो इकाइयां x 65 मेगावाट) की क्षमता वाला एक जल विद्युत संयंत्र जो कि स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना (एसआरएचपी) है। बिजली उत्पादन के लिए पानी का स्रोत स्वर्णरेखा नदी है। बिजली संयंत्र की दोनों इकाइयां एक श्रृंखला में हैं, अर्थात पहले पावरहाउस I (पीएच-I) द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल को तत्पश्चात पावरहाउस II (पीएच -II) द्वारा बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।

स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना (एसआरएचपी) के रिकॉर्ड की जांच (अप्रैल 2023) से पता चला है कि संयंत्र के वार्षिक रखरखाव शटडाउन (24 मई 2019 से 24 जून 2019) के दौरान, 8 जून 2019 को पावरहाउस -I के स्टैटर वाइंडिंग में दोष देखे गए। इंसुलेशन प्रतिरोध (आईआर) परीक्षण के दौरान जनरेटर के स्टैटर वाइंडिंग के बी चरण में दोष पाए गए। इस गलती को सुधारे बिना, पावरहाउस -I से बिजली उत्पादन संभव नहीं था। हालांकि, पावरहाउस -II बिजली उत्पादन के लिए तैयार था।

कार्य की आकस्मिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, परियोजना प्रबंधक (पीएम), स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना (एसआरएचपी), सिकिदिरी, ने उस एजेंसी को काम देने का प्रस्ताव दिया जिसने पूर्व अवसर पर समान कार्य निष्पादित किया था, और इस दोष को सुधारने के लिए जून 2019 में ₹ 7.60 लाख का अनुमान तैयार किया गया। हालांकि, प्रबंध निदेशक ने जून 2019 में परियोजना प्रबंधक, सिकिदिरी को मरम्मत कार्य शॉर्ट टेंडर के माध्यम से निष्पादित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, जून 2019 में 'दोषपूर्ण स्टेटर बार की मरम्मत और प्रतिस्थापन के साथ पूर्ण स्टेटर

वाइंडिंग (बीएचईएल निर्मित 11 केवी, 65 मेगावाट हाइड्रो जनरेटर) के परीक्षण' के लिए एक लघु निविदा सूचना आमंत्रित की गई। हालांकि, केवल एक बिडर ने निविदा में भाग लिया। यद्यपि बिड जमा करने की अवधि को दो बार (26 जुलाई 2019 और 16 अगस्त 2019 तक) बढ़ाया गया था, पर किसी भी नए बिडर ने इसमें भाग नहीं लिया।

इसके अलावा कंपनी ने एकल निविदा की स्वीकृति और प्रसंस्करण के लिए शक्ति प्रत्यायोजन (डीओपी) के प्रावधानों के तहत केवल एक बार कार्य को 18 अक्टूबर 2019 को पुनः प्रस्तुत किया और बोली 7 नवंबर 2019 को खोली गई थी। फिर से, केवल उसी एजेंसी (मेसर्स राजमाने एंड हेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) ने पुन: निविदा में भाग लिया। ₹ 7.60 लाख की अनुमानित लागत वाले इस कार्य को अंततः इसी एजेंसी को दिसंबर 2019 में सौंपा गया और कार्य 23 जनवरी 2020 को शुरू किया गया। एजेंसी ने जनवरी 2020 में एक विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सुझाव दिया गया कि स्टैटर कोर इंसुलेशन के स्वास्थ्य में खामियों का पता लगाने के लिए अर्थ लीकेज कोर डिटेक्टर इम्पर्फेक्सन (ईएलसीआईडी) परीक्षण आयोजित करने की आवश्यकता थी। परियोजना प्रबंधक, सिकिदिरी ने मार्च 2020 में एजेंसी को सूचित किया कि ईएलसीआईडी परीक्षण में स्टैटर कोर इंसुलेशन की स्थिति स्वस्थ पाई गई और एजेंसी से काम फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। हालांकि, कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए मार्च 2020 में घोषित राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण काम बाधित हो गया था, काम को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया गया और विभिन्न चरणों में 95 दिनों से अधिक समय में सभी तरह से पूरा किया गया था। अंत में, पावरहाउस-I को ₹ 22.24 लाख रुपये के व्यय के बाद चालू किया गया और 21 जून 2021 को संचालन में रखा गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

परियोजना प्रबंधक, सिकिदिरी/महाप्रबंधक (तकनीकी) ने आपातकालीन आधार पर निष्पादित किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता के बारे में जून 2019 में प्रबंध निदेशक (एमडी) को अवगत कराया था और एकल निविदा खोलने के लिए अनुमोदन की मांग की थी, ताकि संयंत्र को आगामी मानसून के मौसम के दौरान उत्पादन के लिए कार्यात्मक बनाया जा सके। हालांकि, प्रबंध निदेशक ने जुलाई 2019 में 'शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार कार्य' करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव वापस कर दिया।

महाप्रबंधक (तकनीकी) ने पुनः अगस्त 2019 में प्रबंध निदेशक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो एकल निविदा की स्वीकृति/प्रसंस्करण के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) के अनुमोदन की मांग करता है ताकि पावरहाउस -I को चालू किया जा सके। हालांकि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने सितंबर 2019 में देखा कि उनकी मंजूरी लेने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि प्रबंध निदेशक इस मामले में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने प्रबंध निदेशक के इस कृत्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की जिसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी हुई थी और साथ ही प्रबंध निदेशक को बिना किसी देरी के आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के निर्देशों के अनुपालन में प्रबंध निदेशक ने सितंबर 2019 में कंपनी के महाप्रबंधक (तकनीकी) को काम की तात्कालिकता को इंगित करने के लिए निर्देशित किया। महाप्रबंधक (तकनीकी) ने कहा कि सामान्य/अच्छे मानसून की प्रत्याशा में तात्कालिकता पहले महसूस की गई थी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में कोई तात्कालिकता नहीं थी। प्रबंध निदेशक ने शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार तब निर्देश दिया कि पुन: निविदा के माध्यम से कार्य निष्पादित किया जाए।

अंत में, प्रबंध निदेशक ने दिसंबर 2019 में शक्ति प्रत्यायोजन (खंड 4 ए (ii)) के प्रावधानों के अनुसार, जिसके तहत प्रबंध निदेशक को आपातकालीन कार्य की निविदा के लिए कॉल किए बिना ₹ 50 लाख तक का कार्य देने के लिए अधिकृत किया जाता है, नामांकन के आधार पर एकल बोली लगाने वाले को काम से सम्मानित किया।

इस प्रकार, पावरहाउस-I की मरम्मत के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप 23 महीने (08 जुलाई 2019 से 20 जून 2021 तक) की अवधि के लिए इसका पावरहाउस-I बंद हो गया और यदि मरम्मत के लिए ली गई तीन महीने की अवधि पर विचार किया जाए तो 01 अक्टूबर 2019 से 20 जून 2021 तक स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना (एसआरएचपी) को 84.807 मिलियन यूनिट (एमयू) का उत्पादन नुकसान हुआ जिसका मूल्य ₹ 8.46 करोड़ था।

उत्तर में, प्रबंधन ने सितंबर 2023 में कहा कि पारदर्शी तरीके से काम के निष्पादन के लिए एजेंसी की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी और शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार एकल बोली के मामले से निपटने के

लिए दो बार विस्तार की अनुमति दी गई थी और अंत में निविदा प्रक्रिया के सभी संभावित विकल्पों को समाप्त करने के बाद नामांकन के आधार पर कार्य 24 दिसंबर 2019 को मेसर्स राजमाने एंड हेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्टैटर का मरम्मत कार्य आपात्तकालीन आधार पर किया जाना था, जैसा कि परियोजना प्रबंधक/महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा प्रबंध निदेशक को सूचित किया गया था। यदि प्रबंध निदेशक ने एकल निविदा आधार पर कार्य प्रदान करने के लिए जुलाई 2019 में शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग किया होता, तो कंपनी ₹ 8.46 करोड़ मूल्य की 84.807 मिलियन इकाइयों (एमयू) के संभावित उत्पादन नुकसान से बच सकती थी।

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**

दिनांकः **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),**

झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के.संजय मूर्ति)**

दिनांकः **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**